Wednesday, 22 December, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 30, बुधवार, 2 दिसम्बर, 1971/1 पौष, 1893 (शक)
No. 30, Wednesday, December 22, 1971/Pausa 1, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
अल्प-सूचना प्रश्न तथा गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा के बारे में	*Re* Short Notice Question and Discussion on Sugarcane Price	1
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re* : Question of Privilege	1—2
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	2—6
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	6—7
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	7
16 वां तथा 26 वां प्रतिवेदन	Sixteenth and Twenty Sixth Reports	7
चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में वक्तव्य	Statement *re*-Mid-Term Appraisal of the Fourth Five Year Plan	7—11
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	7—11
मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में वक्तव्य	Statement *re* Supply of Kerosene Oil	11
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi	11
राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक	Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill	11
प्रवर समिति में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of additional Members to Select Committee	11
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	11
(एक) दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक	(i) Delhi Sikh Gurdwaras Bill	12
(दो) संविधान (28वां संशोधन) विधेयक	(ii) Constitution (Twenty-eight Amendment) Bill	12—17
(तीन) पूर्वोत्तर परिषद विधेयक, 1971	(iii) North-Eastern Council Bill	17—18
दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक	Delhi Sikh Gurdwaras Bill	18—25
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	18
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	18—19
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	19—20

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	20
श्री गुरदास सिंह बादल	Shri Gurdas Singh Badal	20
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	20—21
श्री मोहम्मद इस्माईल	Shri Mohammad Ismail	21
श्री मोहिन्दर सिंह गिल	Shri Mohinder Singh Gill	21
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	21—22
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	22
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	22
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	22
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	23
श्री तेजा सिंह स्वतंत्र	Shri Teja Singh Swatantra	23
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur	23
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	23
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	23
खंड 2 से 41 तथा 1	Clauses 2 to 41 and 1	23
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	23—25
सन्थाल हत्या कांड के बारे में	*Re.* Santhal Murder Case	26
नियम के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* suspension of Provisio to Rule	26
पूर्वोत्तर परिषद विधेयक	North-Eastern Council Bill	27—39
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to consider	27, 34—36
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	27—28
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	28—29
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	29—30
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	30
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	30—31
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	31—33
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	33
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	33—34
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	34
खंड 2 से 8 तथा 1	Clauses 2 to 8 and 1	36
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	36—37
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb	37
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavater Shastri	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	38—39
कपास ढुलाई अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर सरकार की अधिसूचना के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution *re* Mysore Government Notification under Cotton Transport Act—adopted	39
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill and High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill	39—46
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	39
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	39—40, 44—45
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	40—41
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	41
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	41
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	41—42
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	42—43
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	43
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	43
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga	43
श्री शंकर तिवारी	Shri Shankar Tewari	43—44
खंड	Clauses	45
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	45—46

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 22 दिसम्बर, 1971/1 पौष, 1893 (शक)
Wednesday, December 22, 1971/Pausa 1, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

अल्प-सूचना प्रश्न तथा गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा के बारे में
RE : SHORT NOTICE QUESTION AND DISCUSSION ON SUGARCANE PRICES

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : संसदीय मामलों के मन्त्री महोदय ने चीनी की नीति पर चर्चा के लिये कल एक घंटे का समय देना स्वीकार किया है । उसे ध्यान में रखते हुए मैं अपने अल्प सूचना प्रश्न को लिए जाने का आग्रह नहीं करता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कल किसने देखा है । अल्प सूचना प्रश्न पर आज ही विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आज अल्प सूचना के प्रश्न पर चर्चा की जाती है तो कल इस पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : आज का कार्य महत्वपूर्ण है अतएव इस मामले पर चर्चा कल कर ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैंने जो विशेषाधिकार के अतिक्रमण के बारे में सूचना दी थी उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्राप्त हो गया है जिसकी जानकारी सदस्य महोदय को दे दी गई है ।

सदस्य का कहना था कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। उत्तर में बताया गया है कि पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान दिया।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : इसमें तथ्यों को सही रूप में नहीं लिया गया। वास्तव में सदस्य महोदय को पुलिस स्टेशन तक घसीटा गया था परन्तु उत्तर में कहा गया है कि वह वहां स्वत: गये थे।

श्री दशरथ देव (कालाहांडी) : जब माननीय सदस्य तथा पुलिस की रिपोर्टों में अन्तर होता है तो किसकी बात सही मानी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो मैं सरकार को भेज देता हूं और उनका उत्तर प्राप्त होने पर, वह सदस्य को भेज देता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यदि सत्र के दौरान कोई ऐसी घटना घटती है तो माननीय सदस्य के कथन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अभी ध्यान से देखा नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्य की समीक्षा

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 1333/71]।

गुजरात और मैसूर मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1482, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 1490, जो मैसूर राजपत्र, दिनाँक 26 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—1334/71]।

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर मोटर गाड़ी (सातवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 247 में प्रकाशित हुए थे।[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—1335/71]

(3) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, गुजरात मालगाड़ी कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात माल गाड़ी कराधान (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०/एच०/जी०/71/98 सी जी टी 1263/21683-में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये** संख्या एल० टी०—1336/71]।

2 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 और 1102 के उत्तरों को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता और क्षेत्रीय असमानता तथा असन्तुलन के बारे में श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 और 1102 के 2 जून, 1971 को दिए गए उत्तरों को शुद्ध करने के लिये तथा उत्तरों को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०—1337/71]

पायराइट्स फास्लेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बारे में लेखा पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 7 पायराइट्स, फास्फेटस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1338/71]

(2) दिसम्बर, 1971 में जारी किये गये राष्ट्रीय रक्षा ऋणों के परिणामों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल०टी०—1339/71]

(3) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6)

के अन्तर्गत आपात संकट (माल) बीमा स्कीम की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 197 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 5483 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—1340/71]

(4) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 के अधीन जिस माल का बीमा नहीं किया जा सकता उसकी सूची के बारे में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 5485 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०—1341/71]

(5) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, आपात संकट (उपक्रम) बीमा स्कीम की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5486 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1340/71]

(6) उपर्युक्त मद 5 (3), (4) और 5 में उल्लिखित अधिसूचनाओं के अंग्रेजी संस्करणों के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए** संख्या एल०टी०—1341/71]

(7) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात सरकार गारंटी अधिनियम, 1963 की धारा 2 की उपधारा (2) (क) के अन्तर्गत गुजरात सरकार द्वारा 6 नवम्बर, 1971 तक दी गई गारंटियों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—1344/71]

अन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54 वें सत्र में स्वीकृती अधिसमय और सिफारिशें

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से जेनेवा में जून, 1970 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54वें सत्र में स्वीकृत अधिसमयों और सिफारिशों का पाठ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी० - 1343/71]

संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(1) मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि का 21वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के पैरा 35 में उल्लिखित मामलों में आयोग की सलाह सरकार द्वारा स्वीकृत न किए जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल०टी०-1345/71]

भारत रक्षा अधिनियम, और मैसूर पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारत रक्षा अधिनियम 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत रक्षा (स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियम, 1971 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर, '971 में अधिसूचना संख्या 1888 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1346/71]

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 163 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, मैसूर राज्य पुलिस (अनुशासनिक कार्यवाहियां) (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 39 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1347/71]।

कपास ढुलाई अधिनियम, के अन्तर्गत उद्घोषणा

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे): मैं मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, कपास ढुलाई अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत मैसूर सरकार की अधिसूचना संख्या ए० एफ० 94, ए० टी० एन० 64, दिनांक 5 नवम्बर, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1348/71]।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत

लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1700 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—1349/71]।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी०—1350/71]।

———

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पार-पत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जी०एस०आर० 1848, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 प्रकाशित हुए थे।

(2) पार-पत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1849 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—1351/71]।

शिक्षुता नियम, 1971

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, शिक्षुता नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूबर 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1426 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1352/71]।

———

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये कम्पनी (आय कर पर अधिभार) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(चार) कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

16वां तथा 26वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय), के सम्बन्ध में समिति के 102वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 16वां प्रतिवेदन ।

(2) रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में समिति के 119वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 26वां प्रतिवेदन ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. MID-TERM APPRAISAL OF THE FOURTH FIVE YEAR PLAN

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इसी सत्र में मैंने पहले सदन से कहा था कि सरकार संसद में चौथी योजना की प्रगति तथा उसके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक मध्यावधि मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी । इस माह के प्रारम्भ में जब पाकिस्तान के साथ झगड़ा शुरू हुआ तब सरकार ने योजना की प्रगति का एक विस्तृत मूल्यांकन तैयार कर लिया था । नई स्थिति के परिणामस्वरूप बंगला देश के विस्थापितों के भारी प्रवेश से हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं वे अब और अधिक जटिल एवं व्यापक हो गई हैं । इस सन्दर्भ को दृष्टिगत करते हुए माननीय सदस्यगण यह मानेंगे कि इस समय योजना की शेष अवधि के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की स्पष्ट रूपरेखा तैयार

करना यथार्थ न होगा । इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करने में एक और उपर्युक्त नई चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा और दूसरी ओर योजना को एक नई दिशा प्रदान करनी होगी ताकि लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जा सके । परन्तु योजना के पूर्वार्ध का हमने जो विस्तृत मूल्यांकन कर रखा है वह अब हमारे लिए एक आधारभूत सामग्री है । इसके आधार पर अब हम अपनी उपलब्धियों का तथा उन क्षेत्रों, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का पता लगा सकते हैं जिन पर शीघ्र और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो कमियां पैदा हो रही हैं उन्हें दूर किया जा सके । यह इसलिए किया जा रहा है ताकि क्रियात्मकरूप से वह समग्र विकास की प्रक्रिया पूरी हो सके जिसको कि हमने योजना की पिछले ढाई वर्षों की प्रगति के विश्लेषण के रूप में संसद में प्रस्तुत करने का निश्चय कर रखा है । हम ऐसा नहीं कर सके परन्तु यदि सामान्य स्थिति रही होती तो योजना की शेष अवधि के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर हम ऐसा कर सकते थे । तदनुसार मैंने सभा पटल पर चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रलेख की प्रतियां प्रस्तुत कर दी हैं । मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि यह प्रलेख बड़ा है । इसका हिन्दी रूपान्तर तैयार हो रहा है जिसे अलग से मुद्रित एवं प्रचलित किया जायेगा । हम इसका एक सारांश भी तैयार कर रहे हैं जो संसद को शीघ्र ही उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

2. आगामी महीनों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को इस प्रलेख के निष्कर्षों पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता होगी । विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हासिल करने तथा उसको बनाए रखने की दृष्टि से हमारा प्रयास अब यह रहेगा कि हम विभिन्न प्रकार के अपेक्षित उपाय करने के लिए इसे अपनी कार्य पद्धति का आधार बनायें । ऐसा सभी कार्यों में किया जायेगा अर्थात् चाहे वे नीति परिवर्तन से संबन्धित हों, प्रशासनिक सुधार से संबन्धित हों, वित्तीय उपायों से संबन्धित हों या नई परियोजनायें तथा कार्यक्रम चालू करने से संबन्धित हों ।

3. मैं इस प्रदेश में दर्शाये गये तथ्यों एवं निष्कर्षों का फिर से सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करूंगा । मेरा उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था तथा योजना-प्रक्रिया के उन नए तथ्यों को प्रकाश में लाना है जिनकी ओर शीघ्र तथा सोद्देश्य ध्यान देने की आवश्यकता है तो वर्तमान आपत्कालीन स्थिति तथा इसके भावी परिणामों को दृष्टि में रखते हुए और भी जरूरी है । यह स्पष्ट है कि रक्षा-प्रयत्नों तथा बंगला देश की सहायता के फलस्वरूप उत्पादन स्थिति में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण हमारे वित्तीय, भौतिक तथा जन-शक्ति स्त्रोतों पर और विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त भार पड़ेगा । अतएव यह परमावश्यक है कि हम एक ओर तो आर्थिक रूप से बचत करें और बचत को प्रोत्साहन दें तथा दूसरी ओर हम अपने संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक मितव्ययिता से तथा कुशलता से करें । अधिक बचत प्रत्यक्षतः उत्पादन वृद्धि तथा आय वृद्धि से तथा सभी प्रकार की अनावश्यक खपत को नियंत्रित करने से होती है । हमें यह ध्यान रखना है कि सामाजिक बचत—चाहे घर की चीजों में चाहे सामूहिक रूप से, सार्वजनिक अथवा निजी—निरन्तर अधिक से अधिक होती जाय । इस बात की ही उतनी ही आवश्यकता है कि बचत के एक बड़े भाग का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाये ताकि प्राथमिकता वाले निवेश कार्यों को उठाया जा सके और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-आपूर्ति, पोषण आदि आवश्यक सामाजिक परिव्ययों पर सार्वजनिक खपत को निरंतर बनाये रखा जा सके । संसाधन जुटाने तथा इन्हें

पर्याप्त स्तर तक बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रयत्न केवल तभी किए जा सकते हैं जबकि त्याग समान हो तथा समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा की जाए। उत्पादन तथा सामाजिक न्याय—दोनों के लिये कीमतों में स्थिरता एक आवश्यक बुनियादी-तत्व हैं। सरकार, कीमतों को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में सचेत है ताकि अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहे मुद्रा-स्फीति—जन्य दबाव को हटाया जा सके तथा आय और निवेश दोनों को भली-भांति संरक्षित किया जा सके। हमें विशेष रूप से कीमतों की स्थिरता पर बल देना है क्योंकि योजना तैयार करने के समय से अब तक लागत और कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, उससे मूल रूप में निर्धारित वित्तीय परिव्यय की राशि अब स्वयं ही कम न पड़ जाय, ऐसी संभावना है।

4. हमें उत्पादन को जितना तेजी से संभव हो सके उतना तेजी से बढ़ाना है तथा चाहे कृषि हो अथवा उद्योग हों, अथवा परिवहन हो अथवा सिंचाई हो अथवा बिजली हो, यह सभी क्षेत्रों में बढ़ाना है। ये परिणाम अल्पावधि में केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि क्षमता का का अधिक बेहतर रूप में उपयोग करने को सार्वधिक प्राथमिकता दी जाये, जिसकी कि इसमें से सभी क्षेत्रों में काफी गुंजाइश तथा संभावना है। हम विस्तार से, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाने के कार्य में लगे हैं। इन खोजों के आधार पर निश्चित-अवधि में आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही जहां कहीं आवश्यकता पड़ेगी हमें निवेशों के लिये नये मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने तरीकों तथा अपनी क्षमता का विकास भी करना होगा। योजना की हमारी विस्तृत समीक्षा ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करना आवश्यक है। इस पर बराबर ध्यान देना होगा।

5. अभी हाल की घटनाओं ने योजना में दिये गये उद्देश्यों की पुष्टि की है जो कि और अधिक आत्म निर्भरता की अपेक्षा करती है। यद्यपि इस समय हमारे भुगतान के शेष की स्थिति सन्तोषजनक है किन्तु इसकी संभावना है कि आगामी महीनों में इस पर अधिक भार पड़े। हमने जो निर्यात पर बल दिया है उसे न केवल कायम रखना होगा बल्कि उसमें और अधिक वृद्धि करनी होगी। आयात की स्थानापन्नता पर और अधिक तात्कालिकता के साथ कार्रवाई करनी होगी। यहां हमारे वैज्ञानिकों तथा प्रोद्योगिकों के द्वारा कारगर योगदान दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति एक तात्कालिक कार्यक्रम तैयार करने में पहिले ही से व्यस्त है।

6. आगामी वर्ष के लिये राज्य सरकारों की योजनाओं के संबंध में हमने कुछ नए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये हैं जो कि उनके परिव्यय के स्तर तथा इन स्तरों की सहायता के लिये केन्द्र की सहायता के सम्बन्ध में हैं। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारें और अधिक वित्तीय अनुशासन निभायेंगी तथा इसके बाद कोई "ओवर ड्राफ्ट" नहीं करेंगी तथा अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का और अधिक प्रयत्न करेंगी। व्यक्तिगत राज्यों पर उनके मुख्यमन्त्रियों से निर्धारित सारणी के अनुसार इस आधार पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्रियों से हुई मेरी चर्चाओं से यह संकेत मिलता है कि और अधिक संसाधनों के लिए प्रयत्नों, तथा योजना की कुशलता तथा किफायत-शारी के साथ क्रियान्विति में अत्यधिक वित्तीय अनुशासन पर बल देने का राज्य पूर्ण समर्थन करेंगे।

7. यह इस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण है जब कि हम अनिश्चितता की अवधि तथा अदृश्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि हम अपने दीर्घावधि उद्देश्यों को भुला न बैठें। इसलिये हमें पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाने के प्रारंभिक कार्य को यथाशीघ्र आरम्भ कर देना होगा। अपनी योजना पद्धति को हमारी जनता की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने तथा उसके तकनीकी अंशों में सुधार करने के लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं। इस पर इस प्रकार से कार्रवाई करनी होगी कि पांचवी योजना भली भांति फलदायक तथा ठोस कार्य करने वाली बन सके जिससे कि वह देश को आत्मनिर्भरता के विकास तथा सामाजिक न्याय के पथ पर ले जा सके।

8. अन्त में मैं आदरणीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रलेख को जो कि अब उपलब्ध करा दिया गया है एक सृजनात्मक दृष्टि से देखें। योजना के निष्पादन के किसी भी पक्ष पर आदरणीय सदस्यों की टिप्पणियों तथा सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। मुझे विश्वास है कि सदन सरकार से पूर्ण सहमत होगा जैसा कि प्रधान मंत्री ने इस पर बल दिया है कि इस समय हमारी जनता के सभी वर्ग चाहे वे किसान हों अथवा मजदूर अथवा सरकारी कर्मचारी अथवा वैज्ञानिक वे सभी इसे अश्वस्त कराने में हर संभव प्रयत्न करें कि हमारे उच्चतर जीवन के दीर्घावधि उद्देश्य में इस अल्पकालीन चुनौती अथवा विघ्न से कोई जोखिम नहीं आयेगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : क्या मैं वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वक्तव्य देने के उपरान्त शीघ्र ही प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं होती है परन्तु अधिवेशन समाप्त होने वाला है और हमें समय उपलब्ध नहीं होगा। पहले ऐसी प्रथा थी कि योजना के बारे में संसद सदस्य चर्चा करते थे और अपने सुझाव देते थे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने इस पर चर्चा करने के लिये नोटिस दिया था। परन्तु अन्य प्राथमिकताओं के कारण समय न मिल सका। यदि माननीय सदस्य इन कागजातों को पूरे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इस पर वाद-विवाद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आज देश दो बातों से चिन्तित है। पहला, विदेशी सहायता का बन्द होना और दूसरा बंगला देश। क्योंकि कल अधिवेशन का अन्तिम दिन है अतएव इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं जिसका मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकते हैं। समाचार पत्रों में मुजीबुर्रहमान के बारे में तरह-तरह की बातें कहीं जाती हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बतायेगी कि मुजीबुर्रहमान को मुक्त कराने के लिये वे क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं कि वे इसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह ठीक है परन्तु हम कतिपय बातें जानना चाहते हैं। दूसरा,

हम यह जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हथियार डालने से पूर्व जो अत्याचार किये थे, उसके लिये क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना चाहते हैं।

मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* SUPPLY OF KEROSENE OIL

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि देश के समस्त भागों में मिट्टी के तेल की सामान्य सप्लाई को बनाये रखने के लिए तेल कम्पनियों को अनुदेश जारी किए गए हैं। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त माल (स्टाक) उपलब्ध हैं। विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों को भी पर्याप्त माल भेजा जा रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि वे राशन तथा अन्य प्रतिबन्धों को हटा लें। तथापि उन्हें इस बात को सुनिश्चित करने के लिये बहुत सतर्क रहना होगा कि मिट्टी के तेल की जमाखोरी न हो, अधिक मूल्य न लिये जायें तथा इसका दुरुपयोग न हो।

राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक

DIPLOMATIC RELATIONS (VIENNA CONVENTION) BILL

प्रवर समिति में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेशन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बंद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या को जो सभा द्वारा 20 दिसम्बर 1971 को नियुक्त किये गये थे, 15 से बढ़ा कर 19 करती है और उक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित चार सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) श्री पी० वेंकटासुब्बया,

(2) श्री बी० एस० मूर्ति,

(3) श्री एस० ए० शमीम और

(4) श्री मधु दंडवते

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह सभा राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कंवेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या को जो सभा द्वारा 20 दिसम्बर 1971 को नियुक्त किये गये थे, 15 से बढ़ाकर 19 करती है और उक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित चार सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) श्री पी० वेंकटासुब्बया,

(2) श्री बी० एस० मूर्ति,

(3) श्री एस० ए० शमीम

(4) श्री मधु दंडवते

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक
DELHI SIKH GURDWARAS BILL

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा-सम्पत्ति के समुचित प्रबंध का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा-सम्पत्ति के समुचित प्रबंध का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (28वाँ संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY EIGHTH AMENDMENT) BILL

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

~~**अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :**~~

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

~~**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा)~~ : हम इसका विरोध करते हैं । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को पुरःस्थापित न करें क्योंकि इसमें कई कठिनाइयां हैं और हमारे द्वारा सुझाये गये संशोधन इसमें शामिल नहीं किये गये हैं ।

~~**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)~~ : यह बात हमारी समझ से बाहर है कि इस विधेयक से सरकार की किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, यह दुख की बात है कि आज की स्थिति में सरकार संसदीय संस्थाओं के सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न कर रही है, यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार विपक्षी दलों के साथ हुए समझौते की उपेक्षा करके इस प्रकार का संविधान संशोधन ला रही है ।

हमारा विश्वास है कि यह सभा देश का प्रतिनिधित्व करने के नाते संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच कर सकती है । और यदि उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वह ऐसा कर

सकती है। यहां जो 28वां संशोधन लाया जा रहा है उसका उद्देश्य देश के किसी भी भाग में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा आपात स्थिति की घोषणा करने के अधिकार को प्राप्त करना है। सरकार ने इस संबंध में विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श करने का निश्चय किया था और सरकार को इस विषय में अनुमोदन नहीं मिला था

विपक्षी दलों ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि वे इस बात के लिये सहमत नहीं हैं कि सरकार देश के प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक दृष्टिकोण अपनाये। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है।

हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। यदि कहीं संकट है तो इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण देश में संकट है। हम अपने देश को अलग अलग भाग के रूप में नहीं देख सकते हैं, मन्त्री महोदय ने इसके समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किया है उससे हम सहमत नहीं हैं। हमने सरकार को बता दिया था कि यह कार्यवाही निरंकुश है और संसदीय संस्थाओं के भावना के अनुरूप नहीं है। सरकार का यह कार्य देश की एकता को बिखेरने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

~~श्री सेजिमान (कुम्बकोणम)~~ : मुझे आश्चर्य और दुख है कि सरकार 28वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। हमें आज सवेरे ही इसकी एक प्रति प्राप्त हुई थी जिसको देखने से यह लगता है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है विपक्षी नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिये पर्याप्त समय था।

यदि इस विधेयक को पारित किया गया तो इससे देश के संघीय ढांचे को आघात पहुँचेगा। यह सरकार को ऐसा अधिकार देगा जिससे वह राज्यों के साथ भेदभाव बरतने लगेगी।

~~संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)~~ : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ताकि कोई गलत धारणा न बने। इस विधेयक को मुद्रणालय में भेजने से पूर्व मैंने दोनों सदनों के प्रमुख विपक्षी नेताओं से विचार-विमर्श किया था...(**व्यवधान**)

~~अध्यक्ष महोदय~~ : आप यह बात अन्त में कह सकते हैं।

~~श्री सेजिमान~~ : मंत्री महोदय अन्य दलों को पर्याप्त समय दे सकते थे ताकि इस पर मतैक्य होता। मैं आपात स्थिति जारी रखने का विरोधी नहीं हूं परन्तु जिस प्रकार से खण्डशः आपात स्थिति लाई जा रही है उससे देश की एकता को धक्का पहुंचेगा। श्री भुट्टो एक हजार वर्षों तक युद्ध की धमकी दे रहे हैं तो क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे सीमांत राज्यों में इतने समय तक आपात स्थिति बनी रहेगी ?

चुनाव कराने में आपात स्थिति कोई रुकावट नहीं बनती है। यह सभा सरकार को आपात स्थिति जारी रखने का अधिकार देने को तैयार है परन्तु मैं सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने का समर्थक नहीं हूं। मेरे विचार में यह विधेयक हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों का हनन करता है।

यह कहना संदेहयुक्त है कि एक राज्य में आपात स्थिति है तथा शेष देश इससे मुक्त है। यदि एक राज्य में आपात स्थित है तो समूचे देश को समान रूप से उस खतरे का सामना करना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

~~श्री अमर मुह (कन्टाई)~~ : यह सरकार संविधान संशोधनों को प्रस्तुत करने में गंभीरता के साथ कार्यवाही नहीं कर रही है। इस विधेयक में फासिज्म तथा सर्वसत्तावाद के बीज निहित हैं। क्योंकि उनका दल बहुमत में हैं इसलिए वे संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में विपक्षी दलों से विचार विमर्श नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण अथवा आन्तरिक उपद्रव के कारण देश के किसी भाग में गंभीर खतरा है तो वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, परन्तु ऐसा लगता है कि यहां आन्तरिक उपद्रव के भय से यह विधेयक लाया गया है। इसका तो सरकार अपनी स्थिति मजबूत बनाने में तथा लोकतंत्री अधिकारों को हनन करने में दुरुपयोग करेगी।

इस विधेयक को लाने में इतनी जल्दबाजी क्या है ? हमें सबेरे ही इसके पुरःस्थापन का नोटिस मिला है और आज ही इस पर विचार करके इसे पारित किया जायेगा। हमें इस पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिला है। जब देश में आपात स्थिति थी तब समूची सभा ने एक स्वर से सरकार का समर्थन किया था, क्या सरकार कह सकती है कि देश के किसी भाग में ऐसा कोई आन्तरिक उपद्रव है जिससे राष्ट्रीय सार्वभौतिकता को खतरा पहुँच सकता है ? ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह न केवल इस सभा की गरिमा तथा विशेषधिकारों का हनन करता है परन्तु इससे पता चलता है कि वह सत्तावादी प्रवृत्ति अपनाती जा रही है।

~~श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर)~~ : मैं उन विपक्षी नेताओं का समर्थन करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है क्योंकि सरकार दिए हुए आश्वासन से पिछे हट रही है।

जब युद्ध समाप्त हुआ तब हमने सोचा था कि चुनाव सुरक्षित रूप से सम्पन्न किए जा सकेंगे और भारत रक्षा नियम जैसे आपात/अधिकारों को समाप्त किया जायेगा। परन्तु इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि देश के कुछ भागों में आपात स्थिति हटाने के नाम पर इसे पिछवाड़े से लाया जा रहा है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में इसके नाम पर नागरिक अधिकारों को समाप्त किया जायेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The way in which the bill is being introduced here is highty objectionable. Already the President is empowered with some extraordinary powers and there was a kind of Cooperation in this House but now everything has been ignored. What was the necessity of bringing this piecemeal legislation to-day. Before introducing this bill, the opposition should have been taken into confidence. When such necessity was not felt for the last so many years, then what made the Government to declare emergency in some parts of the country now. Regarding internal disturbances, it was already prevailing in West Bengal and there had not been any difficuly in conducting the last elections. Now what has prompted the Government to take such measure. It creates suspicion about the intention of the government. If there is danger of war, it can come from any direction. Then bringing only some parts of the country under emergency will have no meaning. The whole country will have to bring under emergency. Regarding internel disturbances, when urgency was not felt to bring the bill earlier, then what circumstances are compelling the Government to take such step now. So I oppose the bill.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने 388 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित किया था किन्तु आपने अध्यक्ष के निर्देशों को निलम्बित नहीं

किया । निर्देश संख्या 19ख में कहा गया है कि पुरःस्थापित किए जाने के लिए कार्य सूची में ऐसा कोई विधेयक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिसकी प्रतियां दो दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कराई गई हों...

अध्यक्ष महोदय : निर्देश, नियमों से अपर नहीं हैं । जब नियम निलम्बित कर दिया गया तो उससे सम्बन्धित सभी चीजें निलम्बित हो गयीं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पिछली बार जब नियमों से हट कर कार्यवाही चलाई गई थी तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नितांत भिन्न परिस्थितियों में ही नियमों का निलम्बन किया जा सकेगा तथा ऐसी स्थिति में सभी सम्बद्ध सदस्यों की अनुमति लेनी होगी । कल कुछ सदस्यों से इस विधेयक के संबंध में नियमों से भिन्न प्रक्रिया अपनाये जाने के बारे में अपनी राय देने के लिए कहा गया था । मेरे विचार से यदि नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती तो अच्छा रहता । इस सम्बन्ध में मैं श्री बनर्जी से सहमत हूं ।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : आपात काल की घोषणा करने का अधिकार पहले ही मिला हुआ है । बाहरी आक्रमण की स्थिति के अतिरिक्त आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति में भी आपात काल की घोषणा की जा सकती है । इस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में आपात कालीन स्थिति की घोषणा की जा सके ।

मैं द्रमुक के माननीय सदस्य की आशंका का कारण समझता हूं और इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 355 की ओर दिलाना चाहता हूं । उसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रजातंत्र प्रणाली की सरकार या प्रशासन स्थापित करे । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यदि किसी राज्य में अथवा देश के किसी भाग में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो आपात कालीन स्थिति सम्पूर्ण देश में लागू की जाए अथवा केवल उसी क्षेत्र अथवा राज्य में ? अतः मेरे विचार से इस स्थिति में इस विधेयक का विरोध करने में कोई औचित्य नहीं है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : संसद कार्य मंत्री ने मुझे बताया है है कि विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श किया गया है । अब मैं उस उलझन में नहीं जाना चाहता । मेरे विचार से जो एकता देश में उत्पन्न हुई है उसको बनाए रखना ही उचित है ।

श्री समर गुह : किससे परामर्श किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि विपक्षी दलों की यह भावना है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया तो विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात भी हम उनसे परामर्श करने को तैयार हैं ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पुरःस्थापन को स्थगित करके उन्हें परामर्श करना चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम उनके विचारों को ध्यान में रखेंगे । मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की भावना उनमें न रहे और हम उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। निर्देश संख्या 19क के अनुसार मंत्री महोदय को किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की सात दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आज सारे देश में आपात कालीन स्थिति लागू है किन्तु यह विधेयक अधिक उदार है।...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह मेरी अपनी राय है। आपको उससे सहमत न होने का अधिकार है। माननीय सदस्य मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें मेरी राय में यह कानून प्रगतिशील तथा उदार है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य उत्तेजित न हों। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हमने इस विधेयक को पूरी ईमानदारी के साथ सभा के समक्ष रखा है।

श्री समर गुह : हम इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं लगभग आध घण्टे से कठोर शब्द सुन रहा हूं किन्तु मैं कोई कठोर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता।

श्री सेझियान : यह विधेयक ही बहुत कठोर है।

श्री समर गुह : यह उपाय आंतरिक अव्यवस्था से निपटने के लिए है बाहरी आक्रमण से नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह विचित्र तर्क है। वस्तु स्थिति वह है कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना अभी भी विद्यमान है। जम्मू और काश्मीर में घुसपैठ होती है। दूसरी ओर संसद सदस्यों की यह माँग है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा को यथाशीघ्र हटा लिया जाये। इस विधेयक को इसी उद्देश्य से लाया गया है कि संसद-सदस्यों की मांग को भी पूरा कर दिया जाये तथा देश की सुरक्षा को भी खतरा न हो सके। इस स्थिति में माननीय सदस्य यह उचित समझेंगे कि देश के कुछ भागों में आपात-कालीन स्थिति को रहने दिया जाये। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीलू मोदी : चुनाव आ रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह आपकी भावना है, मेरी नहीं। यह सारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है। मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब यह सभा को देखना है कि यह उपाय उचित है अथवा नहीं।

श्री राज बहादुर : मैं विपक्षी दल के माननीय सदस्यों की भावना का स्वागत करता हूँ। मैं यह तो नहीं कहता कि विपक्षी दलों के सभी नेताओं से इस विधेयक के बारे में परामर्श किया गया था किन्तु कुछ नेताओं से अवश्य परामर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे पास

विकल्प भी क्या है। क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि सम्पूर्ण देश से आपातकालीन स्थिति को हटा कर देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को खतरे में रहने दिया जाये ?

इस विधेयक को लाने में हमारी कोई बुरी भावना नहीं थी और न ही हम कोई अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अपनी भूल स्वीकार करता हूं कि मैंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श नहीं किया क्योंकि मैं समझता था कि सभी विपक्षी दल इससे सहमत हैं। मुझे दो विशिष्ट सदस्यों ने यह आश्वासन दिलाया था कि हम सभी दलों से कहेंगे कि इस विधेयक का समर्थन किया जाये। भविष्य में मैं इस प्रकार के आश्वासनों पर विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मैं बहुत हताश हुआ हूं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पुन: विचार विमर्श किया जाये। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाये तथा यदि वे चाहें तो विचार करने के प्रस्ताव पर बोलते समय वे इस का विरोध कर सकते हैं। वास्तव में मुझे इस बात का बहुत दु:ख है कि मैंने बहुत से नेताओं से विचार विमर्श किया था तथा उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिलाया था किन्तु उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 248 **विपक्ष में** 74

Ayes 248 Noes 74

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

पूर्वोत्तर परिषद विधेयक

NORTH-EASTERN COUNCIL BILL

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एक परिषद की स्थापना का, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जायेगा, तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप को श्री पन्त द्वारा प्रस्तावित वास्तविक प्रस्ताव पर विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में मैं आपका स्पष्ट निर्णय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने नियमों को निलम्बित कर दिया है तो अब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अभी आपने किया नहीं है। अब आप नियमों को निलम्बित करने जा रहे हैं । मैं आपके निर्देशों का उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर उसी प्रश्न को उठा रहे हैं। नियमों के साथ निर्देश भी निलम्बित हो जाते हैं ।

श्री एम० एम० बनर्जी : किस नियम के अन्तर्गत ?

अध्यक्ष महोदय : जब हम नियमों को निलम्बित करते हैं तो उसके साथ ही निर्देश भी निलम्बित हो जाते हैं । प्रश्न यह है :

"कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एक परिषद की स्थापना का, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जायेगा, तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक

DELHI SIKH GURDWARAS BILL

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा-सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैंने सदन के पिछले सत्र में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्ध विधेयक, 1971 प्रस्तुत करते हुए बताया था कि वह विधेयक केवल एक अस्थाई उपाय था । उस समय यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा और वर्तमान विधेयक उसी आश्वासन को पूरा करता है ।

दिल्ली के सिख गुरुद्वारों के समुचित प्रबन्ध के लिए दीर्घकालिक समाधान सरकार के विचाराधीन था और दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड से अनुरोध किया था कि व्यापक कानून के लिए प्रस्ताव तैयार करें ताकि दिल्ली का सिख समुदाय गुरुद्वारों के प्रबन्ध हेतु अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड ने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से तथा धार्मिक अवसरों पर लोगों के विचार प्राप्त किये । बोर्ड को इस प्रयोजनार्थ विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से प्रारूप विधेयक भी प्राप्त हुए । पंजीकृत सिंह सभाओं से परामर्श भी किया गया । इस तरह दिल्ली में सिख समुदाय के सभी प्रकार के विचारों की जानकारी ले ली गई ।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा किये गए विधायी प्रस्ताव महानगर परिषद, दिल्ली के पास भेज दिए गए। महानगर परिषद तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों पर भी विचार किया गया है।

गुरुद्वारों के धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में दखल देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और वर्तमान विधेयक के खण्ड 35 में इस प्रयोजनार्थ व्यवस्था कर दी गई है।

विधेयक में यह व्यवस्था हैं कि गुरुद्वारों के प्रबन्ध हेतु बार्डों के आधार पर चुनाव होंगे। प्रत्येक बोर्ड से एक प्रतिधि चुना जाएगा। चुने हुए सदस्यों द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत भी किए जायेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति का कार्य काल चार वर्ष होगा। समिति अपने सदस्यों में से एक प्रधान और चार अन्य पदाधिकारी चुनेगी। प्रबन्ध बोर्ड में इन पांच पदाधिकारियों के अलावा दस अन्य सदस्य होंगे जो समिति द्वारा चुने जायेंगे। निर्वाचन का प्रबंध गुरुद्वारा निर्वाचन के एक निदेशक के अधीन होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

इस बात का ध्यान रखा गया है कि गुरुद्वारों की आमदनी का किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोजन किया जाये। इस उद्देश्य से विधेयक में खण्ड 26 की व्यवस्था की गयी है।

जिला जज को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह चुनाव से पैदा होने वाले झगड़ों का निपटारा करे। यह व्यवस्था भी की गई है कि जिला जज के आदेश के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की जा सके।

एक छोटे से संशोधन को छोड़कर, जो उचित समय पर प्रस्तुत किया जायेगा, मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

Shri Bhan Singh Bhaura (Bhatinda) : I welcome this measure as it fulfills Government's assurance. The Akalis had launched a Morcha in this regard and a political motive was implied in this Morcha. The Akali Government had gone out of office and people disliked them as their Ministers and Jathedars were corrupt. But I congratulate the people of Panjab for they refused to be misled by this Morcha. This led to further decrease in the popularity of Akalis.

I understand that some concessions have been allowed after consultations. What was the need to Co-opt nine members ? It might have been aimed that a thin majority may be increased by such members. I also consider it wrong when it reads :

"one member being a Sikh woman ordinarily resident in Delhi ;"

Again, what is the need of inserting : "two members to represent the registered Singh Sabhas" ?

Men from Singh Sabhas can also contest elections. Who are those two members ? The Bill reads :

"two members to represent the Sikh Community of Delhi, other than those referred to in sub-clause (i), sub-clause (ii) and sub-clause (iii)" All this is total injustice to those who will come after facing the electorate.

There is another loophole in the Bill. It has been the practice in Punjab that even a Sahajdhari sikh can become a member of the committee. But this Bill provides that a sikh who trims or shows his beard or Keshas cannot be a Membar. This is not proper.

It has also been provided that the President shall be a matriculate or a higher

secondary pass. That will be injustice to those who are elected to the committee. It should not be there in the Bill.

It is very important measure. Care should be taken to see that the funds are not used for political purposes. In Punjab, these funds are misused for such purposes.

Dr. Jagjit Singh is General Secretary of the Akali Dal. He is busy in anti-national activities abroad. He should he repatriated and prosecuted.

With these words, I welcome this Bill.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I congratulate the Law Minister for bringing forward this Bill. Our Government has defied all the pressures in this regard. The Prime Minister has categorically declared that the Government does not intend to interfere in the affairs of Gurdwaras. It is the Shiromani Gurdwara Prabandhak Commitiee which has been interfering in the affairs of Delhi Gurdwaias. They do not want to leave Gurdwaras to the residents of Delhi. All the mismanagement and disturbances were due to the activities of those who launched the Morcha. They were badly mauled at the polls and started this Morcha for misleading the Sikhs. Government acted on the order of Delhi High Court and constituted a Board. This Board has done a magnificent job. Their work is responsible for increase in income of Delhi Gurdwaras. The Board has justified its existence. The Board has set at rest all the wrong publicity which was being carried on about affairs of Gurdwaras of Delhi. A Morcha was launched as a part of all this movement. They gave the slogan that the Panth is in danger. This happened in 1965 as well. But the people did not give them any support. The Prime Minister had declared that all pressures will be resisted and an elected body will be constituted. This Bill fulfills that assurance.

I don't want to give any importance to Dr. Jagjit Singh. He is an Akali and these people are unpredictable. The provision for Co-option of one member from Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee has been made in this Bill. I strongly protest against this provision. There is no need to home such a provision because it will enable Panjab politics to interefer in affairs of Delhi Gurdwaras.

This Bill does not allow Sahajdhari Sikhs to contest the elections. This is a bad precedent and this provision should be removed.

I congratulate the Government and the Hon'ble Minister for fulfilling the assurance given earlier doing this in normal and routine course.

Shri Gurdas Singh Badal (Fazilka) : I welcome this Bill. I am happy that this measure, which provides for a democratic set up has been brought forward. We had launched a movement in this regard and it has resulted into this Bill. I welcome it whole heartedly.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : An Hon'ble member has stated that I am not a Sikh. But I am a Sahajdhari and Nanak and Kabir have influenced my life. I consider Nanak a great Socialist leader. He preferred to dire at a poor man's house and refused a capitalist invitation. History of that 'Roti' is alive today and it is a great message for the Sikhs and people of this country. All of us should try to act according to the message. The Sikhs have contributed greatly to our armed forces. They are brave and are hard working in agricultural field. But it is their misfortune that their leadership has been reactionary and backward. But those leaders are not accepted by urban Sikhs.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

I am against bringing religion into politics. Anybody who brings religion into politics is deceiving the people and harming the democracy. In Punjab, Gurudwaras have always been used for political purposes. Several agitations have been launched from there.

Even in Delhi, Gurudwaras have been used for political purposes. Even the Principals and Head Masters of the Schools and Colleges run by the Gurudwaras were appointed on political considerations. It is the duty of all of us to keep the Gurudwaras free from politics and their management should be handed over to those who truely represent Sikhs at large. If an enquiry is held regarding the use of funds of the Gurudwaras of Punjab, I am sure several 'Mahants' and 'Sants' will find their place in the jail. I shall request the Government to hold an enquiry into the affairs of Gurudwaras and I am sure that many Sikhs will help the Government in this.

I congratulate the Government for bringing forward this Bill for the management of Gurudwaras. Similar Bills should also be brought for other religions shrines. I welcome this measure.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I welcome this Bill, but I would say that it should have been brought forward earlier so that there could not have been any agitation.

So far as the question of qualification of the members of executive committee is concerned I would request the Government to reconsider it. The knowledge of Gurumukhi and that the members should keep beard does not hold good in the present day atmosphere. Such restrictions should not be imposed.

The conditions of service of employees and officers should be according to the law of the land. This thing should not be left over to the Committee of Gurudwaras.

Fifty percent of the funds of Gurdwaras should be spent on education. This should be made clear in the Bill. A provision should also be inserted in the Bill to check the missappropration of the property.

I support the plea that religion should not be brought into politics. But I would appeal to my congress friends to act on this plea. The sanctity of the shirnes should be maintained. It should be made clear in the Bill that the funds will not be used in elections.

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepur) : I congratulate Shri Gokhale for bringing forward this Bill. The people of this country are not fully aware as to how the 'Jathedars' have misappropriated the funds of Gurdwaras. It is now clear from the avail report that Sardar Santokh Singh has misused the money. I would request the Government to start judicial proceedings against him. The Akalis are traitors. They are always thinking I of recession and creating of 'Sikhistan'. Dr. Jagjit Singh, General Secretary of Akali Dal is making anti-India propaganda in England. He is now perhaps in Pakistan.

The Akalis demanded that date for holding elections to the executive committee of Gurudwaras may be fixed and for that purpose they launched agitation. These illiterate people do not know that Government have to pass Act and a voter list has got to be prepared and that a date for holding elections has got to be fixed after that. No body knows much about Sant Fateh Singh. The Government should hold an enquiry as to who is he and to which village he belongs and whether he has some connections with Pakistan or not ! I would like to say that Akalis reprecent only a section of Sikhs. I would request the Governmeni to hold election for Gurdwaras in Punjab also. For the last seven or eight years elections have not been held there. The provision in the Bill for co-opting a member from Shiromani Akali Dal should be removed. With these words I welcome the Bill and congratulate the Government for bringing forward this measure.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the names of Shri Govind Singh and Vanda Veer Vairagi are remembered with great respect in this country as true patriots. They belonged to Sikh community. But, now the followers of the same community are at daggers drawn with each other. There had been a conflict between the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee and another group of Sikhs to get hold of management of Delhi Gurudwara, in which a number of Sikhs were injured.

Some persons were arrested in that connection. Now the Government has come forward with this Bill. I think it is a belated measure. If Government had acted in time, this unhappy affair could have been avoided, lives of some persons could have been saved and there would not have been so much agitation over this. It is good that Government has consulted a number of institutions before bringing forward this Bill. The Metropolitan Council was also consulted and it gave its advice also, but Government did not pay any attention to it.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Many of the provisions laid down in the Bill are not proper. It is said in the Bill that a person of 21 years of age can be a voter. Further it prescribes qualifications for membership of the Committee. A man must be of 25 years of age and he should be Matriculate or Higher Secondary pass for becoming a member of the Committee. In my opinion, prescribing such qualifications for becoming member of the Committee is not proper. When there are no such qualifications for being a voter. Even then I welcome the Bill with the hope that it will help the Sikh community to manage the affairs of Gurudwaras properly.

Shri Birendra Singh Rao (Mahendragarh) : Mr. Speaker, Sir, I am surprised to see this Bill, because the spirit of this measure is contrary to the provisions it contains. It has been provided in the Bill that a person who trims his hair or smokes or takes alcoholic drinks cannot become a Member of the Committee. This provision is not proper. I am not in a position to understand as to how Government will verify whether a particular person trims his hair, smokes or takes alcoholic drinks. This provision will create a number of problems for Government too. Government should look into it. Further it has been provided in the Bill that the Member should be able to read Gurumukhi. On one hand we are emphasising the need of putting an end to language dispute by adopting Hindi as national language, while on the other, such provisions are being made in the Bill. Such provisions will encourage separatist tendencies and will go against the spirit of integration of the country. I hope Government will bring forward another measure removing there loopholes from the present Bill.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Sir, according to the provisions of this Bill only Keshdhari Sikhs are included in the Sikh community. Thousands of Sahajdhari Sikhs, who are sincere devotees of Sikh religion but who do not keep beard and hair have been excluded from the Sikh Community and they have been deprived of being an electorate or a member of the Committee. This provision is not proper. In my opinion all Sikhs irrespective of their being Keshdhari or Sahajdhari should be entitled to be elector or a member of the Committee.

The object of this Bill is to streamline the management of Gurudwaras. So sincerity of devotee should be the main criterion and not the hair and beard. I think religion is not the monopoly of a particular section. Such provisions will not promote secularism. From the provisions of this Bill it appears that a particular section of Sikh community wants to have their own monopoly over Gurudwaras by prescribing all such conditions. Government should look into this matter.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : Mr. Speaker. Sir, I welcome this Bill. But I feel sorry about those provisions of the Bill which prevent Sahajdhari Sikhs to participate in the affairs of Gurudwaras. Sir, now I want to speak in Punjabi.

Mr. Speaker : As you have not given notice of it before hand, it will not be recorded.

Shri Swaran Singh Sokhi : * *

**पंजाबी में बोले ।
Spoke in Punjabi.

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi) : Mr. Speaker, Sir, I welcome this Bill, as it gives an opportunity to Sikhs of Delhi to participate in the management of Delhi Gurudwaras through their elected representatives. The Gurudwaras of Delhi have been the guiding force for all Gurudwaras in the country. I hope this spirit will continue. But our Government should make every effort to keep gurdwaras free from politics. Politics should not be allowed to interfere in the affairs of gurdwaras. I also agree that there are certain flaws in the Bill and they should be removed. I hope this Bill will go a long way in improving the management of gurdwaras of Delhi.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : Mr. Speaker, Sir the tendency of bringing towards separate Bills for gurdwaras of separate places is not proper. Separate laws are being made for gurdwaras of Punjab, Haryana and Delhi, This Bill as such divides the Sikh community as the provisions of this Bill deprive a number of Sahajdhari Sikhs to be the elector or the Member of the Committee. It will have an unhealthy effect on the Sikh community, Such provisions of the Bill should be modified so that Sahajdhari Sikhs could also become Members of the Committee.

The provision of the Bill will deprive a large number of Sahajdhari Sikhs from becoming a Member. This provision should be modified.

Similar Bill should be enacted for temples and Maths which have huge properties and assets to avoid misuse of these properties.

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : I fully welcome this Bill. At present there are serious irregularities in the management of the Gurdwaras and this Bill is intended to provide few proper management. This Bill contains some drawbacks which should be removed.

It is not known why the Sahajdhari Sikhs have not been included in the management body. It would have been better if they had been included in the management of the Gurdwaras.

It is also not understood why any educational qualifications have been laid for election to the management body when there are no much qualifications laid down for elections to Parliament. The hon. Minister should clarify the position.

In Punjab we have the sad experience of the funds of Gurdwaras being misused for political purposes by Akalis. We should ensure that this is not done in Delhi. Therefore, provisions should be made in the Bill that those funds should be spent only for religious educational and social purposes.

Shri Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I do not agree with Shri Satpal Kapoor. His remarks are not proper. Sikhs are patriots and brave people and they should be given full freedom in regard to religion. They have always helped the country in difficulty. They have worked for the safety of the country.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : We should have some rational attitude in regard to religion and this Bill in a first step in that direction as it provides for elections of the management of Gurdwaras.

Government should ensure that religious places are not used for political purposes.

I am of the view that all the funds of religious places should be spent on the Fourth Five Year Plan of the country. A Bill in this regard should be brought forward by the Government. *(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे ये टिप्पणियां पसन्द नहीं हैं। उनमें से कुछ टिप्पणियां बहुत

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

आपत्तिजनक हैं। पंजाब अधिनियम में सहजधारी सिखों को शामिल किया गया है। आशा है मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : सरकार किसी समुदाय पर अपने विचार लादना नहीं चाहती है। विधेयक के अनेक खंडों के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये थे। विधेयक का मसौदा तैयार करते समय ये सब प्रश्न हमारी जानकारी में थे। लेकिन सरकार किसी समुदाय पर अपनी राय लादना नहीं चाहती। अत: इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व जनता, संगठनों के प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों, महानगर परिषद् के सदस्यों और दिल्ली प्रशासन के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। लगभग सब व्यक्तियों ने और दिल्ली के सिख समुदाय ने इन उपबन्धों को न केवल स्वीकार किया था बल्कि इस बात पर जोर दिया था कि इन्हें विधेयक में अवश्य रखा जाना चाहिये। इसी कारण से उक्त उपबन्धों को विधेयक में शामिल किया गया है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रशासन और प्रबन्ध को लोकतांत्रिक रूप देना है। प्रबन्ध अधिनियम लाने से पूर्व गुरुद्वारों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके परिणामस्वरूप सिख समुदाय को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। गुरुद्वारों को धनराशि की हानि हुई और उनके प्रबन्ध में कठिनाई हुई। इसके 55 सदस्यों में 45 सदस्य निर्वाचित हैं। अन्य सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये हैं। सिख समुदाय के पिछडे वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा प्रबन्ध और प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करना है। **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Darbara Singh : I want a clarification of the definition of Sikhs. Secondly, the number of nominated members is very less.

Shri Swaran Singh Sokhi : This is a Sikh Gurdwara Amendment Bill and not Singh Gurdwara Bill.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राजबहादुर से संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने के बारे में जानना चाहूँगा।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कल 9-30 बजे विभिन्न नेता इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे और फिर मैं इस बारे में सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मद 25, 26 और 27 पर चर्चा की जानी हैं।

श्री राजबहादुर : वे सब संविधान (28वां) संशोधन विधेयक से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4 (समिति की संरचना)

Clause 4 (Composition of the Committee)

संशोधन किये गये :

संख्या 1 पृष्ठ 3 (क) पंक्ति 30 और 31 को लोप किया जाये ।

(ख) उप-खण्ड (ख) की मद (ii), (iii) और (iv) मदों को क्रमश: (i), (ii) और (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये ।

No. 1 Page 3 (a) *omit* lines 30 and 31.

(b) *renumber* items (ii), (iii) and (iv) of sub-clause (b) as 'items "(i), (ii) and (iii)" respectively.

संख्या 2 पृष्ठ 4, पंक्ति 1, मद (v) को मद (iv) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये ।

No. 2 Page 4, line 1, *renumber* item "(v)" as item "(iv)".

(श्री एच० आर० गोखले)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खंड 5 से 41, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 5 to 41, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

———

संथाल हत्याकांड के बारे में

RE : SANTHAL MURDER CASE

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 193 के अधीन 17 दिसम्बर को.....

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन प्रस्ताव को पहले कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना होता है। अतः आप एक या दो मिनट के लिये बोल सकते हैं परन्तु नियम 193 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री कार्तिक उरांव : मैंने 17 दिसम्बर को इस आशय की सूचना दी थी।

इस सभा के बहुत कम सदस्यों को पता होगा कि 10 संथालों की हत्या कर दी गई थी और 4 को जीवित जला दिया गया था। मैं श्री पन्त द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इस मामले पर ब्यौरेवार चर्चा की जानी चाहिये। मैं 7 दिसम्बर और 12 दिसम्बर को घटना-स्थल पर गया था और अब मैं बता सकता हूँ कि श्री पन्त द्वारा दी गई जानकारी पूरी नहीं थी। इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार के अत्याचारों का अन्त होना चाहिये। हमें इस विषय पर चर्चा करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये।

नियम के परन्तुक के निलम्बन के बारे में

RE : SUSPENSION OF PROVISO TO RULE

अध्यक्ष महोदय : हम संविधान (28वां) संशोधन विधेयक पर चर्चा स्थगित कर रहे हैं। अगला मद नियम निलम्बन करने के बारे में है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं अनुपूरक कार्य सूची में मद 23-क में उल्लिखित संशोधित रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का जहां तक यह पूर्वोत्तर परिषद विधेयक, 1971 पर जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971 संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 1971 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन) विधेयक, 1971, पर निर्भर है विचार किये जाने और पास किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 क परन्तुक का जहां तक यह पूर्वोत्तर परिषद विधेयक, 1971 पर जिस सीमा तक यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, '971 संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 1971 और संघ राज्यक्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 1971, पर निर्भर हैं विचार किये जाने और पास किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पूर्वोत्तर परिषद विधेयक

NORTH-EASTERN COUNCIL BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये एक परिषद की स्थापना का, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जायेगा, और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

पुनर्गठन विधेयक पास हो जाने से पूर्वोत्तर प्रदेश में 5 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र होंगे । आसाम को छोड़ कर शेष सभी राज्य छोटे होंगे । पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि समस्त पूर्वोत्तर प्रदेश के विकास पर हमें विशेष ध्यान देना होगा । विकास के लिए वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित जनशक्ति और विशेषज्ञों की राय बहुत आवश्यक है । दूसरी बात यह है कि सड़कों, परिवहन सुविधाओं, विद्युत और सिंचाई आदि सुविधाओं के बिना कोई बड़ा विकास कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता । इस प्रदेश के वित्तीय संसाधनों से तो गैर-योजना व्यय भी पूरा नहीं होता । आसाम, नागालैंड और मेघालय को अब भी काफी सहायतानुदान की आवश्यकता पड़ती है । पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों को सहायता देने का निश्चय लगभग तदर्थ आधार पर किया जाता है और अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी बड़े पैमाने पर सहायता दी जाती है । इस प्रदेश के विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को और भी अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करनी होगी ।

जब मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाने की योजना बनाई गई थी और मई 1970 में इस सभा ने पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1970 पास कर दिया था तभी पूर्वोत्तर प्रदेश के समन्वित विकास की आवश्यकता स्वीकार की गई थी । इस कानून में एक ऐसी क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था की गई है जो सभी राज्यों के सामान्य महत्व की राज्य की योजनाओं में सम्मिलित प्लान संबंधी योजनाओं को एक साथ मिला करके बनाई जा रही है । इस नये राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में और नए राज्यों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विभिन्न राज्यों की राज्य स्तर की योजनाओं के अतिरिक्त एक अलग क्षेत्रीय योजना होनी चाहिए जिसके लिये समस्त प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता अलग से निर्धारित की जायें । पहले कानून की संकल्पना से यह मूल अन्तर है । इस निर्णय के बाद 1970 के अधिनियम में उल्लिखित तंत्र का पुनर्गठित किया जाना आवश्यक हो गया था । हमने यह महसूस किया है कि विकास और सुरक्षा के पहलुओं से निपटने के लिए एक परिषद और एक समन्वय समिति बनाने की बजाए एक छोटा सुसंगठित निकाय बनाना अधिक अच्छा होगा जो दोनों पहलुओं का ध्यान रखे । प्रादेशिक योजना का लाभ नागालैंड को भी पहुंचेगा । इस प्रयोजन के लिए विधेयक में खंड 3 की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार और परिषद के बीच निकट संपर्क बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है

और इन लिये परिषद में केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है ।

इस विधेयक के खण्ड 4 में परिषद के कृत्यों का उल्लेख है । यह परिषद परामर्शदात्री संस्था के रूप में पहले की तरह कार्य करती रहेगी । इस को पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्रीय योजना बनाने का काम दिया गया है । इस परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं की क्रियान्विति का ध्यान रखना और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करना होगा ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*]

क्षेत्रीय योजना में नई परियोजनाएं और योजनाएं सम्मिलित करने की सिफारिश करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण और जांच करना आवश्यक है । परिषद ऐसे मामलों की भी जांच करेगी और राज्य सरकारों अथवा जहाँ आववयक हो, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगी ।

इस विधेयक में निहित योजना के सम्बन्ध में विशेषकर आसाम के बारे में कुछ संदेह रहे हैं । संभवत: इसका कारण यह था कि पहले हमने सोचा था कि शायद परिषद को कुछ कार्यकारी प्राधिकार देने से क्षेत्रीय योजना क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी और केन्द्रीय सरकार राज्यों को निर्देश दे सकेगी । इस उपबन्ध का विरोध किया गया था कि इससे राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण होगा । हमने इस बात को स्वीकार कर लिया और निर्णय किया कि परिषद परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती रहेगी । परिषद द्वारा मतों के आधार पर निर्णय करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई है । अब वह अपने प्रक्रिया के नियम स्वयं बनायेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनके अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी । मुझे आशा है कि इन परिवर्तनों के कारण अब सब संदेह दूर हो जायेंगे और सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इस परिषद के साथ सहयोग करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये एक परिषद की स्थापना का, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जायेगा, और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : भारत सरकार ने त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत देर से कार्यवाही की है । परन्तु राज्यों पर अपना अधिकार बनाये रखने का रवैया अब भी कायम है । मंत्री महोदय का कहना है कि विकास कार्यों में समन्वय की आवश्यकता है । परन्तु भारत के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिषदें हैं और वे ऐसे मामलों में समन्वय स्थापित करने के लिये पूरी तरह सक्षम हैं । इस क्षेत्र का विधान मंडल क्षेत्रीय परिषदों के मध्यम से ये कार्य क्यों नहीं करवा सकते । आसाम और नागालैंड ने आरम्भ से ही इसका विरोध किया है । नामनिर्देशित व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों के निर्वाचित सदस्यों से अधिक शक्ति दी गई है । इतना ही नहीं, राज्यों को अपनी विकास योजनायें बनाने की भी आजादी

नहीं होगी। उन्हें इस परिषद के माध्यम से ये योजनायें बनानी होंगी क्योंकि वे अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित होंगी। राज्यों के सभी कार्यों में यह परिषद हस्तक्षेप कर सकती है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर फिर से विचार करें।

इस विधेयक के कारण यद्यपि इस राज्य को पूरे राज्य का दर्जा तो मिल जायेगा परन्तु इसे अपनी विकास योजनाओं पर विचार करने तथा अपने आन्तरिक मामलों को नियमित करने का अधिकार नहीं रहेगा। फिर इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : यह विधेयक अन्य विधेयकों से भिन्न एक नये प्रकार का है और इसका उद्देश्य भारत के मानचित्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रयोग करने का है। इसकी सीमायें अन्य देशों सहित कई शत्रु देशों की सीमाओं से लगे रहने के कारण इसका बहुत सामरिक महत्व भी है और देश का एक मात्र इतना छोटा क्षेत्र है जिसमें इतनी अधिक संख्या में विभिन्न जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा रीति-रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। यह देश का सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र भी है तथा अंग्रेजी शासन से ही यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है यही कारण है कि यहां के लोगों के दिलों में अनेक प्रकार के सन्देह व्याप्त हैं।

इन्हीं भ्रमों के फलस्वरूप असम राज्य के तीन टुकड़े हुए जबकि हम संगठित असम का विकास देखने को आतुर थे। इस राज्य में से अन्य संघ राज्य क्षेत्र भी निकले हैं। और लगता है कि असम स्वयं भी अन्ततः एक संघ राज्य क्षेत्र बनकर रह जायेगा।

प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस प्रदेश के महत्व को समझा है और इस समूचे क्षेत्र का तीव्र गति से, संतुलित ढंग से तथा समन्वित विकास करने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया है।

परन्तु, इस विधेयक में सरकार ने इस क्षेत्र की योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं की है और ये क्षेत्र अपने संसाधनों से अपनी क्षेत्रीय योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार ने कोई भी निधि प्रदान करने का वचन नहीं दिया है। ये राज्य कोई व्यय कैसे कर सकते हैं जब तक कि केन्द्र सरकार यह नहीं कहे कि क्षेत्रीय परिषद द्वारा सिफारिशें की गई वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें दी जायेगी। फिर इस विधेयक का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। गृह मत्री इस पर ध्यान दें।

फिर आसाम राज्य के लोग समझते हैं कि उनके राज्य का दर्जा घटा दिया गया है। हम चाहते हैं कि यह पर्वतीय सीमावर्ती राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा से किसी प्रकार कम न हो।

यह भी धारणा है कि राज्य की स्वायत्ता को चोट पहुंचेगी। यह व्यवस्था की गई है कि परिषद समय-समय पर सुरक्षा और सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्थ का पुनर्विलोकन करेगी और सरकार द्वारा उचित कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी। इसका अर्थ तो राज्य की स्वायत्ता में हस्तक्षेप करना होगा। इससे यह भी भ्रांति नहीं होगी कि यहां के लोग अपने यहां स्वयं शांति और व्यवस्था बनाये रखने योग्य नहीं हैं।

अतः मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करके यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परिषदें

राज्यों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप न करें इन क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के उद्देश्य से तो लोग इस विधेयक का स्वागत करेंगे। आशा है कि वह परिषद विभिन्न क्षेत्रों को परस्पर समीप लाने में सहायक सिद्ध होगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Bhogendra Jha (Jayanagar) : It is heartening to find that this Bill gives Statehood to several north-eastern areas and also democratic set up to some other areas and this fulfils the aspirations of the people of these areas. This will prove the doubts in regard to the security and other matters as baseless.

There is a vast Tribal area spread over in Bihar, Orissa. Madhya Pradesh and West Bengal and there have been various types of movement. So provisions should be made to make those Adivasis feel that their culture would remain fully secured and safe. under this newdemocratic set up. Their backwardness and social exploitation will vanish, I hope the Government of India would bring in necessary Bill in the next session to ensure this. Further doubts are also removed when the hon. Minister explains that the function of the Council will be only recommendatory, but still the nature of provision made in this Bill would have enough scope for many doubts. The Assam Legislative has already passed a resolution opposing that Council and also, as a matter of fact this Bill is not at all meant for enhensing the status of Assam State. It would certainly reduce it.

There is one more anti-democratic aspect which would create clashes between the Chief Ministers and Governors who would sit together in the Council for discussions on various matters. Therefore it would not be worthwhile to make the Governors and Chief Ministers sit togethers and come to mutual quarrels. At least the Governors should not be included particularly when his Chief Minister is there.

Then there may be a dispute on the terms of reference of the Council under Article 4 particularly in regard to the maintenance of law and order and security which we want should be looked after by the people of those areas itself. Moreover there is already an upheaval in the Adivasis areas on the present structure of this State. Government have not acceeded to their demand and it create further threat to the internal security and law and order there. The Council being put on their heads would aggravate the matter, so the hon. Minister should review it and take away this item from the Council.

The suggestions of the Council would, no doubt, be implemented by the State Governments with the financial provisions by the Centre for which the Financial Secretary is being kept in the Council. But what for the Secretaries of Defence, Home and Planning Departments are being kept. It is not proper to have them in the Council. This would also create basis for clashes in the Council. Further creation of a separate Secretariat for these 6-7 States amounts to considering these States as immature and is, therefore, in contravention of the spirit of the House in granting statehood to these areas.

I, therefore, oppose this Bill.

श्री शिवनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : यद्यपि यह विधेयक पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1970 के प्रयोग से पहले ही पेश कर दिया गया है परन्तु क्योंकि इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित तथा समन्वित विकास के लिए परिषद की व्यवस्था की गई है, इसका स्वागत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वाधीनता के बाद भी पहले की भांति सर्वथा उपेक्षित रहा। अब इसके समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए यह विधेयक सामयिक है और स्वागत योग्य है परन्तु इसमें कुछ कमियां भी हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि यह परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और ऐसे मामलों पर विचार करेगी जिनका सम्बन्ध इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों या केन्द्र सरकार से हो। दूसरी ओर विशेष रूप से खण्ड 4 में व्यवस्था की गई है कि यह परिषद इन राज्यों में सुरक्षा तथा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाये रखने के उपायों पर

विचार करके सम्बन्धित राज्यों को उनकी सिफारिश करेगी। परन्तु जब यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित तथा समन्वित विकास के लिए लाया गया है तो फिर इसमें सुरक्षा आदि की बात कहां से आ घुसी ? यह विषय राज्य का है और वहां के लोगों को इस सम्बन्ध में स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए फिर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों तथा प्रशासकों की इस परिषद में सदस्यता की सांविधिक व्यवस्था की गई है अरुणाचल प्रदेश के प्रशासक को परिषद में एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। यह अनुचित है। यदि अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा किया जाना है तो उसका चुनाव इस क्षेत्र की एजेन्सी परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।

परिषद की देख रेख तथा नियंत्रण आदि उसके अध्यक्ष द्वारा होगा तो लगता है कि अध्यक्ष एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। परन्तु व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति ही एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। वह व्यक्ति कोई राज्यपाल होगा अथवा मुख्य मंत्री तो फिर वह पूर्णकालिक अधिकारी कैसे हो सकेगा ? गृह मंत्री महोदय उपरोक्त बातों का समुचित स्पष्टीकरण करें।

साथ ही, यदि समन्वित तथा संतुलित विकास के नाम पर यदि किसी राज्य की स्वायत्ता का अतिक्रमण होता है तो लोग इसका स्वागत नहीं करेंगे और इसका उलटे विरोध करेंगे। आसाम के लोगों को पहले ही काफी कटु अनुभव हो चुके हैं। अभी भी वहां के लोगों को शंका है कि इस राज्य का दर्जा कम किया जा रहा है परन्तु जब हम यह घोषणा सुनते हैं कि यह परिषद केवल एक सलाह देने वाला निकाय होगा तब यह भ्रम कुछ दूर होता है, मगर फिर भी काफी लोगों में इस बारे में भ्रांति बनी हुई है। यह भ्रांति दूर की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri R. V. Bade (Khargon) : I rise to support this Bill since it has the good intention of securing the balanced development of the north-eastern region. However, I do not understand the utility of appointing this Council which is to be an advisory and recommending body and whose recommendations would be sent to the Central Government and each State concerned in various matters regarding economic and social planning inter-state Transport and Communications, and flood Control etc. But it ts not made clear in the Bill whether these recommendations will be accepted by the Central Government or not, and also what would happen in case the Government do not accept them.

Then there is the question why Assam and Tripura, whom you have given full autonomy have been tied up with other union territories ? This has created discontent in Assam as well as in Tripura. After according autonomy why an Advisory Council has been set up to intervene into their affairs ?

In the Council also, the Chairman is to be nominated by the President from amongst the members of the Council. Why nomination, why should not there be his election by the members themselves ? Why do the Centre thus keeps a way for interventions ? This shows that the Government's intention is not honest. This has caused doubts and discontent in the public. So nomination system should be done away with and Assam and Tripura should be excluded, and the item of law and order should also be deleted.

With these words, I support the aims of this Bill and also request the hon. Minister to explain the reasons for keeping such provisions in the Bill as may create doubts and discontent in the minds of the people.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : पूर्वोत्तर परिषद विधेयक को लेकर लोगों में यह

सन्देह है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता का ह्रास होगा और यह विधेयक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेगा और निष्कार्य सिद्ध होगा ।

इस विधेयक का उद्देश्य तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का समन्वित विकास करना है और इसी बात की आवश्यकता के लिए हम सभा में जोर देते रहे हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बड़ा ही नाजुक क्षेत्र है और यहां विभिन्न तथा परस्पर भिन्न विचार-धारा की जनसंख्या, आदिवासियों आदि का निवास है । हमने कहा है कि यहां मीजा तथा नागा आदि लोगों द्वारा आन्दोलन किये जाते रहे हैं । अन्य राज्यों की अपेक्षा इस क्षेत्र को विभिन्न विपत्तियों-प्राकृतिक तथा मानव द्वारा उत्पन्न—के कारण सर्वाधिक हानि हुई है । वर्ष 19 2 में यह क्षेत्र चीनी आक्रमण की विपत्ति का शिकार बना । 1965 में यह पाकिस्तानी आक्रमण का शिकार बना । इस क्षेत्र की समूची अर्थ-व्यवस्था निरंतर बाढ़ के आने से खराब हो गई है, यहां संचार साधनों का पूर्णतया अभाव है ।

रिजर्व बैंक तथा अन्य साधनों द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की गई है । रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1970 में किया गया सर्वेक्षण यह बताता है कि आसाम के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल जमा राशि 48 करोड़ थी जबकि पूंजी निवेश केवल 20 करोड़ रुपये रहा है । इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बहुत कम रही है ।

मेरा इस विधेयक से कोई विरोध नहीं है परन्तु मेरे विचार में यह निरर्थक है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के अब तक समाधान न किये जाने का कारण यह नहीं है कि इस प्रकार का विधान नहीं था अपितु यह कि कृषि के विकास के लिए लोगों को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । बार-बार बाढ़ आने से उस क्षेत्र के कृषि विकास को धक्का पहुंचता है । मैं नहीं समझता कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के न होने से केन्द्रीय सरकार को समस्यायें सुलझाने में कठिनाई हो रही है ।

इस क्षेत्र में संचार साधनों की व्यवस्था का अभाव एक भारी समस्या है, यहाँ की जनता की बहुत समय से मांग रही है कि बड़ी लाईन का निर्माण किया जाये परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया है, जब तक सरकार वहां की वास्तविक समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाती है तब तक पूर्वोत्तर परिषद विधेयक का कोई लाभ नहीं है ।

जब तक सरकार अपनी ईमानदारी को कार्यरूप नहीं देगी तब तक कोई लाभ नहीं होगा । निस्सन्देह इस विधेयक द्वारा एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जायेगा जहां प्रत्येक राज्य अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेगा, परन्तु जब तक प्रत्येक राज्य आर्थिक विकास के प्रति समेकित दृष्टिकोण नहीं अपनाता तब तक किसी प समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

उस क्षेत्र के लिए एक मूल कठिनाई यह है कि वहां के प्रशासन ने जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को नहीं समझा है । इसका कारण यह है कि उच्च पदों पर बाहर के लोग हैं जिनका कुछ समय उपरांत स्थानान्तरण हो जाता है, इसलिए यह अधिनियम इस समस्या को नहीं सुलझा सकेगा ।

मैं उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूँ जिन्होंने खण्ड 4 (4) का विरोध किया है, मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के मध्य कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के विषय पर कभी चर्चा नहीं हुई है । ऐसा पहली बार ही हुआ है ।

यदि विधेयक का उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाता है तो इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी अन्यथा मंत्री महोदय को आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। अपने राज्य की ओर से मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनको अपना सहयोग देंगे।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : हमने पूर्वी क्षेत्र में कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को गठित करने वाला विधेयक पारित किया था और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में पूर्वोत्तर परिषद को गठन करने का प्रश्न आया हमने आरम्भ से ही इस प्रकार के निकायों के गठन का विरोध किया है। इस सम्बन्ध में मैंने किसी स्थान पर कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। मेरे विचार में कुछ परिषदें नौकरशाही व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है और जनता के हितों की उपेक्षा करती है, प्रधान मंत्री के साथ आसाम के मुख्य मंत्री और अन्य नेताओं के साथ कई बार विचार-विमर्श भी हुआ है और इस प्रश्न पर एकमत नहीं हो सका कि क्या यह विधेयक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा जो सरकार के विचार में सुरक्षा बनाये रखने तथा जनता में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए है। ऐसा लगता है कि मानों वहां की जनता अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है और कानून तथा व्यवस्था बनाए नहीं रख सकती है। केन्द्रीय सरकार समझती है कि केवल वह ही उस क्षेत्र के लोगों की देखभाल कर सकती है, सरकार नेफा को संघ राज्य क्षेत्र बनाकर उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखना चाहती है परन्तु वहां के निवासी नौकरशाही व्यवस्था से त्रस्त हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब इनका एक समूह बनाने का प्रयत्न हुआ तब आसाम की जनता के विरोध को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया था। आसाम प्राकृतिक संसाधनों का कृषि देश है और जब राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है तो केन्द्रीय सरकार को इसकी मदद के लिए आना चाहिए। अब उस क्षेत्र में तीन नये राज्य और दो संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है। इसका कारण यह है कि सरकार ने कभी भी उस राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने, जब वे गृह मंत्री थे, कहा था कि आसाम भारत की समूची संस्कृति का प्रतीक है। एक अन्य अवसर पर प्रधान मंत्री ने प्रश्न किया था कि भाषाई झगड़े क्यों होते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का, आसाम सहित, हमेशा से शोषण होता रहा है और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।

हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में एक आयोग की मांग की थी किन्तु तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे पास धनराशि नहीं है। आसाम में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से भारी नुकसान होता है तथा वहां की जनता को कष्ट उठाना पड़ता है।

खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार जनता के अनुरोध पर कोई कार्य नहीं करती। किसी भी योजना की क्रियान्विति के लिए जनता को भारी आन्दोलन करना पड़ता है।

डिगबोई में एक तेलशोधक कारखाना है। यह प्रसन्नता की बात है कि माननीया प्रधान मंत्री दूसरे तेल शोधक कारखाने का शिलान्यास करने जा रही हैं। किन्तु इसके बारे में नौकरशाहों ने विरोध किया था।

मैंने कल भी कहा था कि श्री पंत एक महान पिता के महान पुत्र हैं। श्री पंत तथा प्रधान

मंत्री भी असम की समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं। यह राज्य अविकसित है तथा उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि इस विधेयक में निहित उपबन्धों को लागू किया जायेगा और राज्य के विकास कार्यों में तेजी आयेगी। हमें खेद है कि क्षेत्रों के टुकड़े होते जा रहे हैं। तथापि हमें इस विधेयक का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। मैं श्री पंत से निनेदन करता हूँ कि आसाम की समस्याओं को दूर किया जाये तथा वहां की जनता को आन्दोलन करने के लिए बाध्य न किया जाये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I rise to support this Bill. I think that the doubts and apprehensions expressed by some of the hon. Members on its are not based on the reality.

I believe that apart from the matters contained in this Bill, that is, any matter of economic interest in the field of economic and social planning ; any matter concerning inter-state transport and communications and any matter relating to power or flood control projects of common interest, there are certain others problems which cannot be faced by an individual State. I suggest that such problems, as individual states are unable to solve them, should be discussed by such Councils.

I also demand that the Council should be provided with the authority and the decisions taken by it should be implemented.

I feel that apart from the North-Eastern Region there are so many problems in other States also. For example, Rajasthan and Maharashtra have been facing the problem of decoits, drinking water and desert. In my opinion an individual State is unable to solve these problems. In this context, I suggest that such Councils should also be appointed for other states so that economic development could be accelerated in other states also.

In certain cases it becomes very difficult for an individual state to maintain law and order situation. For example, after committing robbery when dacoits run away to the adjoining areas of Maharastra and *Vice-versa* it becomes difficult to both the States to apprehend them.

Therefore, such problems should be dealt with by the Councils which are needed to be appointed to other States. I do not want to minimise the autonomy of any State. I want that four-five States do united planning to develop their areas and solve such problems. I would like to say that Central Government should also form development Councils for other State also.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत श्री शिवनाथ ने इस परिषद् के महत्व को पूरी तरह समझा है तथा उन्होंने अपने भाषण में अन्य राज्यों के लिये भी ऐसी परिषदें बनाये जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी ठीक ही कहा है कि इस परिषद के कारण किसी राज्य की स्वायत्तता को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस कार्य की आलोचना भी की है। इस सदन ने 1970 में पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम पारित किया था तथा संसद ने इसे कानून का रूप दिया था। उस समय मनीपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था तथा अरुणाचल प्रदेश और मीजोरम संघ राज्य क्षेत्र भी नहीं बने थे। तथापि सभा ने इन क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की थी तथा पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना की थी। अब उस क्षेत्र में पांच राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्र हैं। अतः इस परिषद् की अब और भी अधिक आवश्यकता है।

इस परिषद का कार्य पूर्ववत सलाह देना है। केवल क्षेत्रीय योजना के सम्बन्ध में इसके कार्यकरण में परिवर्तन किया गया है। मैंने अपने आरम्भिक भाषण में पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम तथा इस विधेयक के अन्तर का उल्लेख किया था।

यह सच है कि परिषद् की सिफारिशों को केन्द्र अथवा राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से मान्य नहीं बनाया गया। इस विषय में मेरा कहना है कि यदि परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया जाये तो क्या संसद् इसे स्वीकार करेगी कि उस क्षेत्र के लिये परिषद् ही योजना बनाये और यदि केन्द्र से 1000 रुपये की मांग करे तो संसद् बिना कुछ विचार किये यह धनराशि दे दे। हमने पहले यह सोचा था कि केन्द्र सरकार राज्यों को कुछ निदेश दे सके कि परिषद की मान्य सिफारिशों को लागू किया जाए। किन्तु राज्यों तथा उस क्षेत्र के नेताओं द्वारा इसका विरोध किए जाने पर केन्द्र सरकार ने निदेश देने की शक्ति को वापस ले लिया। अतः इस समय यह निकाय सलाहकार के रुप में हैं।

यदि इस विधेयक में कुछ ऐसा उपबन्ध किया जाता जिससे संघ राज्य क्षेत्र समझते कि उनकी स्वायत्तता को छीना जा रहा है तो उसका उचित प्रभाव न पड़ता। यदि वे स्वेच्छा से कुछ करना चाहें तो हम उनके उत्तरदायित्व में भाग ले सकते हैं।

त्रिपुरा और मनीपुर को पृथक् राज्य बनाए जाने की घोषणा के अवसर पर भी परिषद् की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था तथा प्रधान मन्त्री ने कहा था कि विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ प्रबन्ध करने होंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुरक्षा के विषय में आपत्ति प्रकट की है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र का कोई दबाव नहीं होगा। परिषद् समय-समय पर राज्यों द्वारा सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था रखने के सम्बन्ध में किए गए उपायों की समीक्षा करेगी तथा आगे आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनका प्रभाव इन सभी राज्यों पर पड़ता है जैसे डाकुओं की समस्या। इस प्रकार इन अन्तर्राज्यीय समस्याओं को सुलझाने के लिए इस प्रकार की परिषद की आवश्यकता हो सकती है। अतः माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इन छोटे राज्यों में, जो पहले केवल जिले थे, समन्वय रखने की कितनी आवश्यकता है। मेरे विचार से इस विधेयक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि इन राज्यों की कोई समस्यायें हैं तो परिषद् में उनपर विचार किया जा सकता है तथा समन्वय स्थापित रह सकता है।

श्री बीरेन दत्त ने यह आपत्ति उठाई थी कि इस प्रश्न को क्षेत्रीय समिति ही क्यों न सुलझाए। क्षेत्रीय परिषद् के क्षेत्राधिकार में क्षेत्रीय योजना तथा क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से योजना बनाना सम्मिलित नहीं है। अतः क्षेत्रीय परिषद् इस पूरे कार्य को नहीं सम्भाल सकती।

जो माननीय सदस्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं वे समझ सकते हैं कि उसकी समेकित योजना के लिये यह कदम आवश्यक है। सभी राज्यों के साथ आसाम की एक ही सीमा है तथा सभी राज्य एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन राज्यों के आर्थिक विकास

तथा प्रगति के लिये एक दूसरे के परामर्श से कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए इस परिषद् की व्यवस्था की गई है। सड़कों तथा संचार सुविधाओं के लिये सभी राज्य परस्पर संबद्ध हैं।

सिंचाई, बिजली तथा औद्योगिक कारखानों का भी एक दूसरे राज्य से सम्बन्ध है। अतः इन सब मामलों पर परिषद में विचार-विमर्श किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे ऐसे निर्णय किये जा सकें जो सभी को मान्य हों तथा सभी राज्यों के हित में हों।

जहां तक संसाधनों का प्रश्न है इस परिषद को संसाधन प्रदान किये जायेंगे जिससे अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं स्थापित हो सकें। वास्तव में राज्य का दर्जा पाने पर उस क्षेत्र की जनता स्वयं संसाधन उत्पन्न करती हैं किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये केन्द्र सरकार को अधिक उदारता बरतनी चाहिए। इसके लिये राज्यों से अनुरोध करना होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिक उदारता पूर्वक संसाधन प्रदान किये जायें। पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना के बाद ही परिषद् क्षेत्रीय योजना के लिये अधिक संसाधनों की मांग कर सकती है तथा केन्द्र सरकार अन्य राज्यों से उसके लिये अधिक संसाधनों का नियतन किये जाने का अनुरोध कर सकती है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण पर आश्रित है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया है।

मैं आसाम की तथा अन्य क्षेत्रों की उन सभी कठिनाईयों से अवगत हूँ जिनसे परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होता है। मुझे आशा है कि अब बंगला की मुक्ति से संचार व्यवस्था में सुधार होगा और विकास कार्य में पड़ने वाली रुकावटें दूर हो जायेंगी। मैं यहां विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए वह सभी कुछ करेंगे जो कि हमारे बस में होगा। हम जानते हैं कि यह एक सीमा क्षेत्र है, इसलिये इसका विकास करना और भी आवश्यक है।

यह क्षेत्र हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण और रमणीक भाग हैं जिसकी विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। इससे राष्ट्रीय जीवन में और भी विभिन्नता आती है। इस क्षेत्र का विकास होने से सम्पूर्ण देश शक्तिशाली बनेगा मुझे विश्वास है इस क्षेत्र को शुभ कामनायें भेजने में सारा सदन मेरे साथ है और हम भविष्य में इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण की कामना करते हैं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं सभी खण्डों को सभा के मतदान के लिये एक साथ रखता हूं। प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 से 8, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 8, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : श्री पन्त ने, सदन में व्यक्त की गयी शंकाओं का समाधान करने हेतु जो कुछ कहा है उसके पश्चात भी इस विशेष खण्ड को विधेयक में बनाये रखने के बारे में मेरी कुछ शंकायें हैं । इस खण्ड में लिखा है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा किये गए उपायों की परिषद् समय-समय पर समीक्षा करेगी और इस सम्बन्ध में अग्रेतर जरूरी उपायों के बारे में सम्बन्धित राज्यों की अपनी सिफारिश करेगी ।

मुझे शंका है कि यह खण्ड राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है । इससे पता चलता है कि चूंकि सरकार समय-समय पर हस्तक्षेप करना चाहती है इसलिए इस खण्ड को विधेयक में रखा गया है । अतः मेरे विचार में यह खण्ड विधेयक में नहीं होना चाहिए । इससे राज्यों की स्वायत्तता में स्पष्ट हस्तक्षेप होता है ।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या यह विधेयक किसी क्षेत्र विशेष के विकास में सहायक सिद्ध होगा । यदि यह परिषद बन जाती है तो विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आपस में झगड़ा करेंगे और अपनी परियोजनाओं के लिए अधिकाधिक धन की मांग करेंगे । इस प्रकार किसी तरह का समन्वय नहीं रहेगा ।

इस प्रकार की परिषद का गठन करने से तो यह अच्छा है कि केन्द्र सरकार को प्रत्येक राज्य के साथ विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पृथक रूप से बातचीत करके धन का नियतन कर दे । इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का विकास हो सकता है ।

यह बताया गया है कि यह परिषद एक परामर्श दात्री निकाय है परन्तु खण्ड में कहा गया है कि परिषद कानून और व्यवस्था बनाये रखने के उपायों के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों को सिफारिश करेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शब्द 'सिफारिश' है ।

श्री दशरथ देब : यहां पर शब्द 'चाहिए' का अर्थ है 'अवश्य होगा' अथवा 'होगा' ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उनकी सिफारिशें आदेशात्मक नहीं हैं ।

श्री दशरथ देब : यह खण्ड अनावश्यक है । परिषद से प्रतिवेदन प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है ? क्या कोई राज्य अपने कार्यों की पुनरीक्षा करके प्रतिवेदन नहीं भेज सकता ? इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता है ?

इस कारण मैं इस प्रक्रम पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, I oppose this measure. It will hinder the development of those areas. The members of the council will be picking up quarrels and, in such cases, the Central Government shall try to impose its decision.

Apart from this, the people of those areas will have to bear the expenses in

regard to this Council. These are undeveloped states and it will further increase their burden.

Why these states are being given Governors when there is a demand that this institution should be ended. He is not an elected representative of the people. This circumscribes the right of the people.

It is clear from the speeches made here that the members donot support the spirit of the Bill. This Bill should be withdrawn. I strongly oppose this measure.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्री देब का कहना है कि इतना कहने पर भी उन्हें शंकायें हैं। उनकी सभी शंकाओं का निवारण करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सिफारिशें आदेशात्मक बनती हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : राज्य सरकार अनुभव करती है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकद्दमा चलाये हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि परिषद इस बात की सिफारिश करे तो क्या होगा ? एक केन्द्रीय मन्त्री इस परिषद का सभापति होगा। विकास हेतु निधियों का नियतन किया जायेगा। यहां पर दबाव की बात आती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि परिषद ऐसी सिफारिश करती है तो ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि यह विधि विरुद्ध है। यह परिषद कानून नहीं बना सकती। यह विधान परिषद का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। यह अपना निर्णय ठोस नहीं सकती।

एक माननीय सदस्य : यह अनावश्यक है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आप यह बात कहकर अपने मत में परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात आप यह मानने लगेंगे कि आवश्यक एवं वांछनीय है।

यह बात अधिनियम 1970 में भी थी। सदन इसे पहले ही स्वीकृत कर चुका है। मैं कोई नई चीज नहीं लाया हूं।

दूसरा प्रश्न गवर्नर के बारे में है। इन सभी राज्यों का एक ही गर्वनर होगा। यह एक ही गर्वनर सभी राज्यों को एक साथ रखने में सहायक होगा।

अन्त में, श्री शास्त्री ने कहा है कि इस सम्बन्ध जो व्यय होगा वह केन्द्र को वहन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं विधेयक के खण्ड 7(4) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि परिषद के सचिवालय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अथवा उन्हें जुदा किए जाने वाले वेतन और भत्तों सहित उक्त कार्यालय के प्रशासनिक व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और संसद द्वारा इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

अतः मुझे आशा है कि इसके पश्चात श्री शास्त्री इसका समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"...

कुछ माननीय सदस्य : हम मत विभाजन चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस विधेयक के किसी प्रक्रम पर भी मत विभाजन नहीं हुआ है। मैं मित्रों से अपील करता हूं कि...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 108	विपक्ष में : 23
Ayes : 108	Noes : 23

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

कपास ढुलाई अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर सरकार की अधिसूचना के बारे में साँविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : MYSORE GOVERNMENT NOTIFICATION UNDER COTTON TRANSPORT ACT—*adopted.*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा जी० एस० आर० 457 के साथ पठित कपास ढुलाई अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 3) की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा मैसूर सरकार कृषि और वन विभाग की दिनांक 5 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या ए० एफ० 94, ए०टी०एन० 64 का, जो कपास ढुलाई अधिनियम, 1923 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी की जानी है, अनुमोदन करती है ।"

सभापति महोदय : क्या कोई सदस्य बोलना चाहता है । मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूँ : प्रश्न यह है :

"राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा जी० एस० आर० 457 के साथ पठित कपास ढुलाई अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 3) की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा मैसूर सरकार कृषि और वन विभाग की दिनांक 5 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या ए० एफ० 94, ए०टी०एन० 64 का, जो कपास ढुलाई अधिनियम, 1923 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की जानी है, अनुमोदन करती है ।"

संकल्प स्वीकृत हुआ ।
The Resolution was adopted.

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

और

उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : दो विधेयक हैं जिनमें से एक का

सम्बन्ध उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा दूसरे का सम्बन्ध उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों से है। मुझे पता नहीं था कि क्या दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा हो सकना अनुमत्य होगा। विषय वस्तु एक ही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं दोनों विधेयकों को चर्चा हेतु एक साथ प्रस्तुत करता हूं। इन पर एक साथ चर्चा होने दी जाये परन्तु मतदान पृथक-प्रथक होगा।

सभापति महोदय : आप दोनों विधेयकों को एक साथ ले सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

छुट्टी, पेन्शन इत्यादि के बारे में जहां तक सेवा शर्तों का सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के उपबन्ध तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 के उपबन्ध लागू होते हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों संबंधी वर्तमान अधिनियम में अस्वस्थता के कारण छुट्टी लेने पर न्यायाधीशों को आधा वेतन मिलता था, अतः उन्हें कुछ राहत देने हेतु उनकी पूरी सेवावधि में तीन मास की छुट्टी अस्वस्थता के कारण लेने पर अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह पूरे वेतन पर यह छुट्टी दी जायेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संबंधी अधिनियम में भी इसी प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बकाया छुट्टी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने पर व्ययगत हो जाती थी। अब कुछ शर्तों सहित चार मास की आधे वेतन पर छुट्टी उसके हिसाब में जोड़ देने का प्रस्ताव है।

पहले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल एक मास की छुट्टी पूरे वेतन पर ले सकता था जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यह अवधि 45 दिन की थी। अब दोनों को यह छुट्टी 45 दिन की ही मिलेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मंत्री महोदय शायद सोचते हों कि

न्यायपालिका के प्रति देश की असीम श्रद्धा के कारण ये विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो जायेंगे परन्तु इसकी कार्य प्रणाली के प्रति हमारे मन में सन्देह है और हम उन्हें व्यक्त किए बिना इन्हें पास नहीं करना चाहते।

जैसाकि माननीय विधि मंत्री ने स्वयं कुछ समय पूर्व कहा था न्यायपालिका का रवैया सर्वत्र ही रुढ़िवादी रहा है—यह मत स्वयं अमरीकी न्यायाधिपति ने भी स्वीकार किया है। हम चाहते हैं कि उनकी सुविधाओं का अधिक ख्याल रखा जाये और साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि वे भी राष्ट्रीय चेतना की धारा में बहें और समाजवादी विचारधारा अपनायें। उनका आचरण भी शुद्ध होना चाहिये क्योंकि हाल ही में 'ब्लिट्स' ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के विरुद्ध गम्भीर दोषारोपण किए थे और कुछ समय पश्चात मामला दब गया।

आय सन्तोष का मानदण्ड नहीं है। अतः न्यायाधीशों को इस आधार पर नहीं सोचना चाहिए। प्रस्तावित सुविधायें उन्हें चाहे दे दी जायें परन्तु उन्हें भी विचार करना होगा कि वे बदले में समाज को क्या देते हैं क्योंकि संतोष की भावना इसी से उत्पन्न होती है नि कोई समाज को कितना देता है। न्यायाधीशों को अपना रुढ़िवादी रवैया छोड़ना होगा और देश में चल रही लहर के साथ बहना होगा और उन्हें अपना आचरण भी आदर्श बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट से न्यायाधिपति के मामले की भी जांच करे और हमें तथ्य बताये जायें।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, no one among us can have any objection as far as provision of more facilities to Judges goes. But they should also reciprocate by working for the removal of inequalities, for social justice etc. social justice shall not be achieved till the poorest person in the country feels that he is getting justice. These facilities should be extended to them at any cost, but the Ministry should make its best efforts to bring about social justice. Judges may be provided all the facilities but they should lead a honourable retired life and not hamper after employment in big business houses afterwards. They live in cloistered domes divorced from the realities of day-to-day life. The Law Ministry should be made instrumental in instilling a sense of commitment towards the people in them.

Shri Ram Ratan Sharma (Banda) : I welcome these Bills and feel that nothing is wrong with the judiciary, only the legislation we frame is faulty. If law is faulty, its interpretation is bound to be so and that is why certain judgments have gone against the Government.

I know many prominent lawyers who have declined the post of Judges offered to them because of its being less lucrative. Therefore it should be made more attractive so as to attract better talent towards its. A more comprehensive Bill should be brought to cover all these aspects.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : जहां मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूँ वहां मैं चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद इन पर कुछ पाबन्दियां लगा दी जायें ताकि ये व्यक्ति बड़े-बड़े उद्योगों में नौकरियां न कर सकें। अतः मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इसके लिए कुछ मानदण्ड निश्चित करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय न्याय पाने में 10-15 वर्ष लग जाते हैं। मंत्री महोदय को इन दोनों न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या घटाने और शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि निचले न्यायालयों में इस समय भ्रष्टाचार व्याप्त है। उच्च न्यायालयों से कहा जाना चाहिये कि वह मुंसिफों और दण्डाधिकारियों को घूस लेने से रोकें।

चौथी बात विचाराधीन बन्दियों को निर्णय हो जाने के बाद भी $\frac{3}{4}$-1 वर्ष तक बन्दी रखने के बारे में है। यह अनावश्यक परेशानी दूर की जानी चाहिये और उच्च न्यायालयों को निचले न्यायालयों पर अपना पर्यवेक्षण कड़ा बनाना चाहिये।

*श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : मैं अपने दल की ओर से इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं। यद्यपि इन अधिनियमों में संशोधन लाने में विलम्ब किया गया है फिर भी इनका स्वागत हैं।

श्रीमन्, जैसा कि आपको विदित है हमारे विधि मंत्री बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने अपने पद से इस कारण ही त्यागपत्र दिया था कि उस समय उनकी आय इतनी भी नहीं थी जितनी कि उन्हें अपने वकालत के व्यवसाय के समय होती थी। अब वह विधि मंत्री हैं, अब उन्हें न्यायाधीशों को अधिक सुविधायें प्रयत्न करने की आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि वकीलों का पारिश्रमिक तथा सुविधायें बहुत कम हैं। अतः कुशल तथा बहुमुखी प्रतिभा वाले वकील न्यायाधीश बनने की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। प्रजातंत्र के लिये न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व है अतः प्रजातंत्र के हित में यह सुनिश्चित कराया जाना चाहिये कि न्यायपालिका में कुशल तथा योग्य वकील आ सकें। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और प्रतिष्ठित वकीलों को न्यायाधीश बनाने के सम्बन्ध में योजना बनानी चाहिये।

आज हमारे न्यायालयों में इतने अधिक मामले अनिर्णीत पड़े हैं कि उनके निपटाने में कई दशाब्दियां लग जायेंगी। न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। देश में जनतंत्र की दृढ़ आधारशिला के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि मामलों पर शीघ्र निर्णय दिया जाये। अनिर्णीत मामलों को निपटाने की ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

न्यायपालिका को समय के अनुसार परिवर्तित होना चाहिये। न्यायाधीशों को अधिक सुविधायें देने के सरकारी प्रयासों की उन्हें सराहना करनी चाहिए। जब सरकार देश में समाजवाद लाने के लिए दृढ़ निश्चय है तब न्यायधीशों की शताब्दियों पुरानी मान्यतायें छोड़कर ऐसी नई मान्यतायें निर्धारित करनी चाहियें जो देशवासियों की आशाओं के अनुकूल हों। न्यायधीशों द्वारा कानून की व्याख्या इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिये कि वह सरकार के प्रगतिवादी कार्यकलापों में बाधक बनें।

जब तक सरकार न्याय धीशों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देती तब तक प्रगतिवादी दृष्टिकोण के वकील न्यायपालिका में आने का साहस नहीं कर सकते। इस समय न्यायपालिका में प्रगतिवादी दृष्टिकोण के न्यायधीशों की आवश्यकता है, तभी सरकारी कानून

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

साधारण व्यक्तियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस दिशा में प्रत्येक आवश्यक कदम शीघ्र उठाये जाने चाहियें।

Snri H. K. L. Bhagat (East-Delhi) : Judiciary is an important part of our constitution. But people today are losing their faith in judiciary as they desire to get cheaper, quicker and honest justice. They want judiciary to move with the time and set up new precedents in conformity with the hopes and aspiration of the society of progressive ideas.

This parliament and the Ministry of Law should enact a comprehensive legislature regarding the appointments, criteria of equditarian terms and service conditions of the Judges according to the basis feelings of the society. We should try to desire such an appointing method as would enable the judiciary function according to the spirit of the law. Our present judicial system requires to be radically changes in order to ensure quick disposal of the cases, therefore, I would like to request the Minister of Law to bring forward a comprehensive legislative so that country's hopes and aspirations from the judicial machinery might be achieved.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has brought this Bill to improve the service conditions of Supreme Court and High Courts Judges. He should also pay his attention towards the employees working in Supreme Court and High Courts.

We are a flourishing democratic nation and therefore, way of appointing Supreme Court and High Courts Judges required to undergo a change. The present system of nomination deprives us of important justice. Judges, even in Supreme Court or High Courts, are approached and in view of securing their services, they do not want to have the displeasure of nominating authority. We should have an election system in order to get capable Judges from Bar Council and Advocates Association.

Alongwith this provision of more amenities and greater facilities to the Judges, we should be ensured that they will discharge their duties honestly and sincerely. They would bestow their attention to the pending cases. Prisoners, have to suffer for four or five years in jail, lower courts are not instructed to dispose of the cases quickly.

Justice is costlier today. Democracy cannot bring any good to the people if justice is denied to the poor. This state of affairs should be done away with. We should evolve an scheme to enable the farmers, labourer and common man feel that justice is equal to all. Let people feel that the Government is servicing new ways with the move of time. The views of the Judges also require to be changed accordiug to the social, economic and cultural changes of the society. They should give a lilip in furthering the objective of establishing an equalitarian society.

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Speaker, Sir, if the changing values of the society are honoured by the Judges we may achieve advancement in our democratic socialism, there should be no smell of revenge or jealousy towards the Parliament. The supreme body in the judgments delivered. We should evolve such a procedure regarding appointment of Judges so that the poor people may get due justice. People have a feeling today that they are not getting due justice. We should not allow such a feeling to develop in the society. We should try to provide such a justice through our judicial system which is much more humanitarian and have due regard to feelings of the Parliament and which is not entirely based on rigid laws.

श्री शंकर तिवारी (इटावा) : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। चर्चा की बात यह है कि क्या न्यायाधीशों को जो सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है, वे भी दी जानी चाहियें ? खेद का विषय है कि चर्चा न्याय प्रणाली की आलोचना पर उतर आई और यह कहा गया है कि लोगों को उनकी इच्छानुसार न्याय मिलता है। यदि न्यायाधीश लोगों की

इच्छानुसार न्याय करने लग जायें तो वे निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर सकते। नियुक्ति के समय न्यायाधीश को शपथ लेनी होती है कि वह अपनी योजना, अपनी अन्तर्आत्मा की पुकार के अनुसार बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप में न्याय करेगा। यदि वह राजनैतिक तथा समाजिक दबाव से न्याय करता है तो न्यायपालिका का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। न्याय के संबंध में न्यायाधीश का इस बात से क्या तात्पर्य है कि इसके चपरासी को कितना वेतन मिलता है। न्यायाधीश किसी दल के सदस्य नहीं हैं, वे समाज सुधारक नहीं हैं, उन्हें तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार न्याय करना है। उनके सम्मुख केवल एक ही विकल्प है कि उन्हें कानून के अनुसार न्याय करना है। गरीब आदमी को न्याय मिला अथवा नहीं, इससे न्यायाधीश का कोई तात्पर्य नहीं है। कानून संसद को बनाने हैं, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्याय प्रक्रिया मंहगी न हो। इस बात की ओर कौन ध्यान देता है कि मामलों के निपटारे में देरी क्यों होती है। इसके बहुत से कारण हैं। टाईपिस्टों की संख्या बहुत कम है, कागजात समय पर तैयार नहीं मिलते हैं। कभी-कभी वकील मामले तैयार करके नहीं लाते हैं और अनावश्यक स्थगन का अनुरोध करते हैं। निर्णय लिखने वाले भी कुशल और योग्य नहीं हैं। न्यायाधीशों के पास कर्मचारियों की भी कमी है। मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7,000 मामले अनिर्णीत पड़े हैं। न्यायाधीशों के सेवामुक्त होने के चार-चार महीने तक नये न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि संबंधित कागजातों की फाइलें मुख्य मंत्रियों के पास पड़ी रहती हैं। इस समस्या के मूल में यही कुछ बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों को और सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। यह एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी भ्रष्टाचार के सेवा कर रही है। परन्तु हाल ही में इस संस्था में भ्रष्टाचार आरम्भ हो गया है और मेरा विश्वास है कि 25 प्रतिशत जिलाधीश भ्रष्ट हो चुके हैं। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, न्यायाधीशों को भी यह सुविधा दी जानी चाहिये।

यह सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति बार काउंसिल से होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो कोई न्यायाधीश एक दल का आयेगा तो दूसरा दूसरे दल का और इस प्रकार वे कोई निर्णय नही कर सकते। केवल दलगत निर्णय होंगे तथा निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पायेगा।

न्यायाधीशों को दलगत राजनीति से ऊपर रखने के लिए विधेयक विषद बनाया जाना चाहिए। उसमें न्यायाधीशों के वेतन, आवास, सेवाशर्तों आदि के विषय में सब कुछ बताया जाना चाहिए। यदि विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सेवामुक्त होने के पश्चात वे किसी सेवा में प्रवेश नहीं पा सकते तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें सेवाओं में इसलिए प्रवेश पाना पड़ता है क्योंकि उन्हें उचित पेंशन दी जाती है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : विधेयक में सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश सुविधायें प्रदान करने के संबंध में जो प्रस्ताव रखा गया है उसके संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण के इतने विवाद की आशा न थी।

कुछ मामलों में न्यायपालिका ने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं किया है। देश की लोकतंत्रात्मक तथा संघात्मक व्यवस्था के लिए निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिका की आवश्यकता है। अतः हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहियें जिससे कुशल और योग्य न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकें। गत कई वर्षों में अथक प्रयत्न करने के उपरान्त भी उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों में कुशल तथा योग्य न्यायाधीश नहीं आ सके हैं।

बहुत से सदस्यों के इन विचारों से मैं सहमत हूं कि हमें उपयुक्त समय पर न्यायाधीशों की सेवाशर्तों के सामान्य विषय के संबंध में विशेष रूप से विचार करना होगा। यदि हमें निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता है तो हमें न्यायाधीशों के साथ भी न्याय करना होगा। अपनी टिप्पणियों के साथ लगभग सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। इसके लिए मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 7, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 to 7, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित विधेयक के लिए भी कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खड 2 से 6, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से , खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 6, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 23 दिसम्बर 1971/2 पौष, 1893 (शक) के 10 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday, the 23rd December, 1971/Pausa 2, 1893 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इनमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].